शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

1972-1973

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक :
निदेशक, शिक्षा विभाग,
हरियाणा ।

विषय/वस्तुएं

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	सामान्य सार	1–7
2.	शिक्षा विभाग का प्रशासन तथा संगठन	8–13
3.	स्कूल शिक्षा	14–21
4.	महाविद्यालय शिक्षा	22–26
5.	शिक्षक प्रशिक्षण	27–31
6.	समाज शिक्षा	32–34
7.	महिला शिक्षा	35–39
8.	शिक्षा सुधार कार्यक्रम	40–46
9.	विविध	47–55

शिक्षा विभाग, हरियाणा की वर्ष 1972-73 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

शिक्षा विभाग की गतिविधियों की यह समीक्षा रिपोर्ट 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च 1973 तक की अवधि की है । इस अवधि में शिक्षा विभाग हरियाणा राज्य में प्राथमिक माध्यमिक, उच्च तथा उच्चतर स्तर पर और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है । वर्ष 1972–73 मे विभाग की प्रमुख क्रियाएँ निम्न प्रकार की रही हैं :–

1. वर्ष 1972–73 में शिक्षा विभाग का कुल बजट (फाईनल ग्रान्ट) 2068–20 लाख रूपये का था जिस में योजना स्तर पर 438.84 लाख रुपये और योजनेतर स्तर पर 1629.36 लाख रुपये था।

2. राज्य हरिजन कल्याण योजना के अन्तर्गत स्कूल स्तर पर हरिजन और अन्य पिछडे वर्ग और विमुक्त जातियों और भारत सरकार पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जातियों और अन्य वर्गों को छात्रवृत्तियां और परीक्षा फीस की पूर्ति के लिये 1972–73 में 53.52 लाख रुपये की व्यवस्था थी।

3. भिन्न-भिन्न स्तर पर शिक्षा पाने वाले छात्रों की सख्या वर्ष 1972–73 में 16.01 लाख थी यह सख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा में 0.91 लाख अधिक है केवल प्राथमिक स्तर पर छात्रों की संख्या में 49,028 छात्रों की वृद्धि हुई है।

4. 400 नये प्राथमिक विद्यालय विशेषकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये हैं जहां पहले प्राथमिक शिक्षा की सुविधाये उपलब्ध न थी।

5. रिपोर्टाधीन अवधि में स्कूल स्तर पर छात्रसंख्या में विशेष वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप 6–11, 11–14 और 14–17 वर्ष के

पढ़ने वाले विद्यार्थियो का प्रतिशत अनुपात इस आयु वर्ग में पिछले वर्ष की अपेक्षा और अधिक हो गया है प्राथमिक स्तर पर 65% मिडल और उच्च तथा उच्चतर स्तर यह क्रमश: 46.2% और 26.2% बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की । मिडल और उच्च तथा उच्चतर स्तर पर यह प्रतिशत अनुपात भारत के औसत प्रतिशत अनुपात से भी काफी उंचा रहा है ।

6. भिवानी, फरीदाबाद, नारनौल, जीन्द, गुड़गाव तथा झज्जर में स्थित राजकीय महाविद्यालयों में कई और विषयो की सुविधाएं उपलब्ध की गई ।

7. बी0 एन0 सी राजकीय महाविद्यालय भिवानी में एम0 ए0 अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की सायकालीन कक्षाओ का भी प्रवन्ध किया गया ।

8. रिपोर्टाधीन अवधि मे 1,900 अध्यापको के पद प्राथमिक श्रेणीयो के लिये स्वीकृत किये गये जिन मे से 900 पद केन्दीय सरकार को शिक्षित बेरोजगारी योजना के अन्तर्गत बनाये गये थे । इस के अतिरिक्त 8 खड शिक्षा अधिकारियो और 24 कार्य अनुभव मास्टरो के पद भी इसी योजना के अधीन बनाए गये । मिडल स्कूलों के 308 पद और उच्च विद्यालयो के लिए 200 पद अध्यापको के स्वीकृत हुये । इन कुल 508 अध्यापको के पदो मे से 300 पद बी0 ए0, बी0 एड अध्यापकों के है ।

9. महाविद्यालय स्तर पर 60 पद प्राध्यापकों के तथा 19 पद ज्येष्ठ व्याख्याताओं के स्वीकृत किए गए ।

10. प्राथमिक विद्यालयों में गुणात्मक सुधार के लिये 500 प्राथमिक विद्यालयो मे बी0 ए0, बी0 एड0 मुख्य अध्यापक लगाए गए ।

11. स्कूल फीडिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 में 3.25 लाख बच्चों को लाभ दिया गया । इस स्कीम से सम्बन्धित खर्चे के लिए बजट में 15.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

12. राज्य में जे0 बी0 टी0 प्रथम भाग की कक्षाएं 9 सर्वसम्पन्न राजकीय जे0 बी0 टी0 विद्यालयों में चालू की गईं।

13. विज्ञान शिक्षा के सुधार के लिए युनिसिफ स्कीम के अन्तर्गत यह कार्यक्रम 120 प्राथमिक तथा 120 माध्यमिक विद्यालयों में चालू है तथा इन विद्यालयों में सम्बन्धित विज्ञान अध्यापकों को नई विधियों द्वारा शिक्षा देने का प्रशिक्षण भी दिया गया।

14. अराजकीय महाविद्यालय और विश्व विद्यालय में विकास कार्य को चालू रखने तथा दूसरे अनुसंधान संरक्षण प्रकार के निम्नलिखित अनुदान भी दिये हैं :–

(1)	कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय	72.24 लाख
(2)	पंजाब विश्व विद्यालय	20 लाख
(3)	पोस्ट ग्रेजुएट रिजनल सैन्टर, रोहतक	4.80 लाख
(4)	अराजकीय महाविद्यालय	34.80 लाख

15. एन0 सी0 सी0 के प्रशिक्षण के लिये राज्य में कुल सीनियर डिवीजन 23 और जूनियर डिवीजन 186 हैं जो राज्य की भिन्न–भिन्न संस्थाओं में चल रहे है।

कुलवंत सिंह,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग।

आदेश दिया जाता है कि इस समीक्षा को हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और रिपोर्ट की प्रतिया सभी सम्बन्धित स्तरों पर भेजी जाएं।

कुलवंत सिंह,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग।

दिनांक 22–11–73

अध्याय प्रथम

सामान्य सार

1.1 प्रस्तुत प्रशासनिक रिपोर्ट शिक्षा विभाग के वर्ष 1972–73 की शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों से सम्बन्धित है और हरियाणा राज्य स्थापित होने के बाद यह सातवी रिपोर्ट है।

1.2 31 मार्च, 1973 को हरियाणा में स्थित भिन्न–भिन्न प्रकार की संस्थाओं की संख्या नीचे दी गई हैं।

संस्था	31-3-73 को संस्थाओं की संख्या
प्राथमिक पाठशालायें	4800
मिडल पाठशालायें	781
उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक पाठशालायें	1092
जे0 बी0 टी0 विद्यालय	9
महाविद्यालय	99
विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र	1

1.3 रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा के हर स्तर पर छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। भिन्न-भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या रिपोर्टाधीन

अवधि में (1–8–72 की स्थिति अनुसार) निम्नलिखित है :—

स्तर	छात्रों की संख्या 1–8–72 की स्थिति अनुसार (लाखों में)		
	लड़के	लड़कियां	कुल
(1) पहली से पाचवी	6.76	3.03	9.79
(2) छठी से आठवीं	2.77	0.86	3.63
(3) नोवी से ग्यारहवी	1.40	0.40	1.80
(4) कालिज स्तर पर	0.62	0.17	0.79

प्राथमिक कक्षाओं में 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में पढ़ने वाले बच्चो की संख्या में काफी वृद्धि होने पर भी अभी हरियाणा समस्त भारत के औसत के लक्ष्य तक नही पहुंच सका है। इस का बड़ा कारण यह है कि यहां के लोग रुढ़िवादी विचारों के हैं और अपने बच्चों को विशेषकर लड़कियों को स्कूलो में भेजना पसंद नहीं करते। राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए तथा अधिक से अधिक संख्या में लड़कियों और हरिजन बच्चों को स्कूलों में प्रविष्ट कराने के लिए राज्य सरकार ने कई सुविधाएं इन वर्गों के बच्चो के लिये उपलब्ध की हैं। रिपोर्टाधीन अवधि मे तीन लाख रुपये की राशि की पाठ्य पुस्तकें मुफ्त हरिजन तथा अनुसूचित जाति के लड़कों तथा सभी वर्गों की लड़कियों में बांटने के लिए भी खरीदी गई है।

प्राथमिक विद्यालय को खोलना :—

1.4 भारतीय संविधान के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देना प्रत्येक राज्य का कर्त्तव्य है। इस उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुये राज्यमें रिपोर्टाधीन अवधि में 400 नये प्राथमिक विद्यालय उन स्थानों में खोले गए जहा कि पहले प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं बच्चों को घरों के

निकट उपलब्ध नही थीं। प्राथमिक कक्षाओं में अतिरिक्त प्रविष्ट होने वाले बच्चों के लिए तथा अन्य खोले गये विद्यालयो के लिये 1300 जे0बी0टी0/बी0 ए0, बी0एड0 अध्यापकों के पद सुचारु रुप से शिक्षा देने के लिए नय सर्जन किए गए है।

वर्ष 1972–73 में किसी भी प्राथमिक और मिडल स्कूल का स्तर नही बढ़ाया गया है। वर्ष 1972-73 में शिक्षा विभाग का ध्यान विशेष कर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की ओर ही केन्द्रित रहा है शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने तथा पिछले वर्षों में खोले गये स्कूलों को सुदृढ़ करने के लिये कई तरह के पग उठाये गये। यह भी निर्णय किया गया कि राज्य के कुछ स्कूलों को प्रयोगात्मक स्तर पर आदर्श स्कूल बनाया जाए।

महाविद्यालय शिक्षा :--

1.5 रिपोर्टाधीन अवधि मे 5 नये अराजकीय महाविद्यालय स्थापित हुए है। कुछ राजकीय महाविद्यालयों में नये विषयों की शिक्षा भी आरम्भ की गई है।

रिपोर्टाधीन अवधि मे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विकास कार्यक्रम के लिए योजना बजट से 30 लाख रुपये की राशि अनुदान के रुप में दी गई है। इस के अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय को योजनेतर बजट से 42.24 लाख रुपये की राशि अन्य अनुदान के रुप में दी गई है।

पंजाब विश्वविद्यालय को योजनेतर बजट से 20 लाख रुपये की राशि अनुदान के रुप मे दी गई। इसके अतिरिक्त पंजाब विश्वविद्यालय को 4.80 लाख रुपये योजना बजट में से रिजनल सैन्टर रोहतक के विकास हेतु दिये गए। इसी अवधि मे अराजकीय महाविद्यालयो को चार प्रकार के अनुदान प्रदान किए गये जिन की कुल राशि 24.24 लाख रुपये है।

अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी हुई जातियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियां :--

1.6 अनुसूचित तथा पिछडी जातियों के बच्चो को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1972–73 मे योजनेतर पक्ष तथा योजना पक्ष पर क्रमश: 17.00

लाख रुपये और ~~योजना पक्ष पर~~ 14.42 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी । इन जातियों के विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में बल्कि व्यवसायिक और तकनीकी संस्थाओं में भी छात्रवृतियां दी जाती हैं। इन बच्चो को शिक्षा संस्थाओं द्वारा दी गई फीस भी बाद मे लौटा दी जाती है ।

विमुक्त जातियो के बच्चों के लिए रिपोर्टाधिन अवधि मे योजनेतर तथा योजना पक्षो पर क्रमश: 13,300 रुपये और 30,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

1.7 भारत सरकार द्वारा यह योजना 1961-62 से महाविद्यालयो में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिये चालू की गई थी। इस योजना के अधीन वर्ष 1972-73 मे हरियाणा राज्य के विद्यालयों/महाविद्यालयों से पास करने वाले 196 छात्रों को नई छात्रवृत्तियां दी गई तथा 445 पिछले वर्षो की छात्रवृत्तियों का नवीकरण किया गया जिस के लिए बजट में 5·0 लाख रुपये की व्यवस्था थी ।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय तथा राजकीय छात्रवृत्ति योजना

1 8 भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 1961-62 से चालू की गई थी और इसके अधीन हरियाणा राज्य के अध्यापकों के बच्चों को भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 8 नई छात्रवृत्तिया दी जाती है। राज्य सरकार ने भी 1971-72 वर्ष से प्रति वर्ष 10 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां देने का निर्णय किया है इस वर्ष कुल 18 नई तथा 28 पिछली छात्रवृत्तियों का नवीकरण किया गया है। जिसके लिए भारत सरकार की ओर से 36000/- रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 14,400/- रुपये की व्यवस्था थी।

महाविद्यालयों में राज्य छात्रवृति योजना

1.9 इस योजना के अन्तर्गत हरियाणवी योग्य छात्रो को हरियाणा राज्य की मैट्रिक उपरान्त संस्थाओं मे पढ़ाने के लिए छात्रवृत्तिया दी जाती है । 1972-73

मे इस योजनाधीन योजना पक्ष पर 2,26,620/- रुपये तथा योजनागत पक्ष पर 1,88,400/- रुपये की व्यवस्था थी तथा 408 छात्रों ने इस से लाभ उठाया ।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति योजना

1 10 भारत सरकार ने कम से कम 50% अंक लेने वाले ऐसे गरीब मां बाप के योग्य बच्चों को जिन को कोई अन्य छात्र वृत्ति/सहायता न मिली हो ऋण छात्रवृति योजना 1963-1964 वर्ष से चालू की थी । इस के अधीन 1972-73 में 3,85,830 रुपये की राशि का 560 छात्रों ने लाभ उठाया ।

सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों के लिये छात्रवृति

1 11 यह योजनासंयुक्त पंजाब मे वर्ष 1961–62 से सेना मे उपयोगी अधिकारी उपलब्ध करने के उद्देश से चालू की गई । हरियाणा बनने के उपरान्त यह योजना हरियाणा सरकार चला रही है । इस योजना के अधीन 1972–73 में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु समस्त भारत के सैनिक स्कूलों तथा पब्लिक स्कूल नाभा मे 14.0 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी जिससे 669 छात्रों ने लाभ उठाया ।

प्रशासकीय तथा शिक्षा अमले की भर्ती

1.12 राज्य मे दस जिले हैं और हर जिले में स्कूल शिक्षा के विकास का पूर्ण नियन्त्रण शिक्षा अधिकारी के अधीन हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम श्रेणी के अधिकारी है । यह अधिकारी निदेशालय की शिक्षा नीति को जिलों मे कार्यन्वित करते है और स्कूल शिक्षा के पूर्ण विकास के लिये यह उतरदायी हैं । उच्चतर स्नातक अध्यापकों/मुख्याध्यापकों/प्राध्यापकों इत्यादि का ~~सैनिक~~ प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय के पास हैं ।

बेसिक शिक्षा (बुनियादी शिक्षा)

1.13 हरियाणा के लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा बुनियादी शिक्षा प्रणाली के आधार पर ही दी जाती हैं । प्राथमिक श्रेणियों के पाठ्यक्रम में

बेसिक शिक्षा के मुख्य कार्यो जैसे आमोद प्रमोद, खेलें, शिल्पों इत्यादि को सम्मिलित किया गया हैं ।

पिछले कुछ वर्षो से बेसिक शिक्षा की रुप रेखा को समय की आवशयकता को ध्यान मे रखते हुये नए साचे में डालने का भी प्रयत्न किया गया है जिस के अनुसार कार्य अनुभव योजना की स्कीम को अपनाया गया है । इस स्कीम के अन्तर्गत कई प्रकार के कार्यो जैसे शिल्पों कला, खेतीबाड़ी तथा अन्य कलात्मक कार्यों का भी अनुभव न केवल प्राथमिक श्रेणीयों में पढ़ने वाले बालकों को दिया जाता है परन्तु माध्यमिक स्तर पर भी विद्यार्थियों की रुचियों के अनुसार कुछ शिल्पों का अनुभव कराया जाता है ताकि वर्तमान शिक्षा का विद्यार्थियो के जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध हो सके ।

शिक्षा पर हुआ व्यय (वर्ष 1972-73) :—

1.14 शिक्षा विभाग का वर्ष 1972-73 का कुल बजट व खर्चा (संशोधित अनुदान) :—

(क) प्रत्यक्ष (आंकड़े लाखों में)

	योजनेतर रुपये	योजना रुपये	कुल रुपये
(1) विश्व विद्यालय	61.38	44.93	106.31
(2) महाविद्यालय	63.21	28.82	92.03
(3) माध्यमिक शिक्षा	973.50	191.34	1164.84
(4) प्राथमिक शिक्षा	413.71	98.01	511.72
(5) स्पैशल शिक्षा	5.60	2 18	7.78
(6) विविध	13.40	17.98	31.38

(ख) परीक्षा :—

(7) छात्रवृत्ति/वजीफे इत्यादि और हरिजन विद्यार्थियों को अनुदान आदि।	44.13	45.57	89.70
(8) डायरैक्शन	18.04	1.61	19.65
(9) इन्सपैक्शन	36 39	8.40	44 79
कुल जोड़	1629.36	438 84	2068.20

वित्तीय वर्ष 1972-73 का राज्य का कुल बजट 13,831.59 लाख रुपये का था जिसमें से शिक्षा बजट का भाग 2,068.20 लाख रुपये था। शिक्षा का कुल बजट राज्य के कुल बजट का लगभग 15 प्रतिशत है।

अध्याय दूसरा

शिक्षा विभाग का प्रशासन तथा संगठन

2.1 श्री माड़ू सिंह मलिक, 8 जून, 1972 से शिक्षा मन्त्री के पद पर आए, इससे पहले इस विभाग का कार्य कुछ समय के लिए मुख्य मन्त्री जी की देख-रेख मे रहा।

(क) सचिवालय स्तर पर:—

रिपोर्टाधीन अवधि में श्री बी0 एल0 आहूजा, आई0 ए0 एस0, श्री जे0 एस0 सरोहिया, आई0 ए0 एस0 तथा श्री पी0 एल0 छाबड़ा, आई0 ए0 एस0 ने शिक्षा आयुक्त एव सचिव के कार्य के पद का कार्य सम्भाला। कार्य में उनकी सहायता के लिए सचिवालय स्तर पर उप-सचिव शिक्षा तथा अवर सचिव शिक्षा के पदों पर भी क्रमश. आई0 ए0 एस0 और एच0 सी0 एस0 की सेवा के अधिकारियों ने कार्य किया।

(ख) निदेशालय स्तर पर.—

रिपोर्टाधीन अवधि मे 7-8-72 से श्री जी0 वी0 गुप्ता, आई0 ए0 एस0, निदेशक, शिक्षा विभाग, के पद पर कार्य कर रहे है इस से पहले निदेशक शिक्षा के पद का भार कुछ समय के लिए श्री बी0 के0 सिब्बल, आई0 ए0 एस0 तथा श्री बी0 एस0 माथुर, एच0 ई0 एस0 के पास भी रहा। कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए सहयोग निम्नलिखित अधिकारियो ने दिया।

(1) सयुक्त निदेशक शिक्षा	एच0 ई0 एस0 (1)	1
(2) उप निदेशक	एच0 ई0 एस0	3
(3) प्रशासन अधिकारी	एच0 सी0 एस0	1

(4) सहायक निदेशक	एच0 ई0 एस0	8
(5) लेखा अधिकारी		1
(6) रजिस्ट्रार		1
(7) बजट अधिकारी		1
(8) सहायक पुरातत्व अधिकारी		1
(9) सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा		1

इन उपरोक्त पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों का विवरण परिशिष्ठ ए मे दिया गया है ।

जिला प्रशासनः—

2.2 रिपोर्टाधीन अवधि में कुछ जिलों का पुनर्गठन किया गया है जिस के फलस्वरूप जिलों की संख्या सात से बढकर दस हो गई है । तीन निम्नलिखित नए जिले स्थापित किए गए हैं:—

(1) सोनीपत

(2) भिवानी

(3) कुरुक्षेत्र

तीन नए जिलों के बनने पर इन जिलों के लिए तीन नए जिला शिक्षा अधिकारियो के पद स्वीकृत किए गए हैं । भिवानी और सोनीपत जिलों में एक-एक उप जिला शिक्षा अधिकारी का पद भी स्वीकृत किया गया है । जिला शिक्षा अधिकारियों के पद श्रेणी I के हैं और उप जिला शिक्षा अधिकारियों तथा उप-मंडल शिक्षा अधिकारियो के पद श्रेणी II के हैं । जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों की सहायता के लिए कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त सभी जिलों में एक-एक उप जिला शिक्षा अधिकारी को भी नियुक्त किया हुआ है।

विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के विकास/निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिला में एक एक सहायक जिला शिक्षा अधिकारी (शरीरिक अधिकारी) 200-400 रुपये के वेतनमान में नियुक्त है उन का कार्य विद्यालयों में दी जाने वाली शारीरिक शिक्षा तथा भिन्न-भिन्न खेलें इत्यादि के निरीक्षण करना है।इस के अतिरिक्त जिलों में इस वेतनमान मे एक-एक सहायक मार्गदर्शन परामर्शदाता को भी नियुक्त किया गया है उन का विशेष कार्य माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को भविष्य के लिए उन की रूचियों के अनूसार व्यवसायिक आदि के चूनाव में मार्गदर्शन देना हैं। इन दोनों अधिकारियों के पद केवल 7 जिलों में हैं जो तीन नये जिले रिपोर्टाधीन अवधि में स्थापित हुए हैं इन जिलों में अभी सरकार द्वारा यह पद स्वीकृत किये जाने हैं।

प्रत्येक जिला के शिक्षा का प्रशासन/नियन्त्रण और शिक्षा संस्थाओं के निरीक्षण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा गुणात्मक सुधार के कार्य के लिए हर प्रकार से उत्तरदायी हैं। सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति इन्ही अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में कार्यान्वित की जाती है। उप मंडल शिक्षा अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित मिडल और उच्च विद्यालयों के शिक्षा प्रशासन तथा निरीक्षण की विशेष शक्तिया प्रदान की गई है। राज्य में कुल 27 उप-मडल कार्यालय है जिनका 10 जिलों के अनुसार विवरण निम्नलिखित है —

	जिला	उप-मंडल
(1)	हिसार	हिसार
		सिरसा
		फतेहाबाद
		हासी
(2)	रोहतक	रोहतक
		झझर

	जिला	उप–मंडल
(3)	गुड़गाव	गुड़गावा
		नूह
		फिरोजपुर झिरका
		पलवल
		बल्लभगढ
(4)	करनाल	करनाल
		पानीपत
(5)	कुरुक्षेत्र	कैथल
		थानेसर
(6)	अम्बाला	अम्बाला
		जगाधरी
		नारायणगढ़
(7)	जींद	नरवाना
		जींद
(8)	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ
		रिवाड़ी
		नारनौल
(9)	सोनीपत	सोनीपत
		गोहाना
(10)	भिवानी	भिवानी
		चरखी दादरी

31–3–73 की स्थिति अनुसार निदेशालय तथा जिला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा परिशिष्ट 'ए' 'क' तथा 'ख' मे दिया गया है। श्रेणी I तथा श्रेणी II के कुल पदों की सूची परिशिष्ट 'ए' 'ग' में दी गई है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने–अपने खण्ड मे प्राथमिक शिक्षा के विकास, निरीक्षण तथा प्रशासन के लिए जिला/उप मण्डल शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी हैं। सारे राज्य को 117 शिक्षा खण्डो में बाटा हुआ है।

विद्यालय प्रशासन :–

2.3 राज्य शिक्षा विभाग के नियन्त्रण के अधीन दो प्रकार की संस्थाएं शिक्षा सुविधाओं को उपलब्ध कर रही हैं।

(1) अराजकीय

(2) राजकीय

राज्य के सभी विद्यालय शिक्षा और प्रशासन के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग के नियन्त्रण मे हैं ।

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी स्थानीय प्रबन्धक समितियों द्वारा चलाया जाता है, इन सभी विद्यालयों में शिक्षा विभाग को निश्चित शिक्षा नीति के अनुसार ही विद्यार्थियों को दी जाती है । यह सभी विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं । सरकार हर वर्ष इन विद्यालयों को वित्तीय सहायता साधारण अनुदान के रुप में भी देती है । इन विद्यालयों का निरीक्षण भी राजकीय विद्यालयों की तरह शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है ।

विश्व विद्यालय महा/विद्यालय :–

2.4 राजकीय महाविद्यालयों का प्रशासन/निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा ही किया जाता है अराकीय महाविद्यालयो का प्रबन्ध उन की अपनी–अपनी संस्थाओं की स्थानीय समितियां ही चलाती हैं। जिन के अधीन यह खोले गये है इन सभी अराजकीय महाविद्यालयो को राज्य तथा विश्व विद्यालयो की शिक्षा नीति को अपनाना होता है जिससे यह संबद्ध है । विश्व विद्यालय आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार भी इन को सहायता के रुप में साधारण तथा विकास अनुदान प्राय : हर वर्ष देती है ।

हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र मे स्थित इस समय केवल एक ही विश्व विद्यालय है, जिस के साथ केवल वहां के स्थानीय महाविद्यालय ही नियम अधीन सम्बन्द्ध है, बाकी राज्य के सभी महाविद्यालय पजाब विश्व विद्यालय चण्डीगढ़ से सम्बन्द्ध हैं।

अध्याय तीसरा

~~शिक्षा~~ स्कूल शिक्षा

3.1 राष्ट्र का विकास शिक्षा के विकास पर ही आश्रित है। मानव का शिक्षित होना विकास की सबसे बडी अवश्यकता है क्योंकि शिक्षित नरनारी ही देश में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रान्ति ला सकते है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में पिछले 7 वर्षों मे स्कूल स्तर पर शिक्षा सुविधाओं के विकास की ओर उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

देश के सविधान में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क सामान्य शिक्षा देने की व्यवस्था है परन्तु हरियाणा राज्य मे अभी धन साधन इतने नही है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा सके । इस राज्य मे निशुल्क शिक्षा की सुविधा केवल राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक स्कूलो में ही उपलब्ध है । इस के अतिरिक्त 6 से 11 वर्ष तक के बच्चो के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा :—

3.2 राज्य मे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास की ओर अभी तक कोई विशेष ध्यान नही दिया गया है पूर्व प्राथमिक शिक्षा केवल नाम मात्र ही है। पिछले कुछ वर्षों से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं के विकास पर काफी बल दिया गया है । रिपोर्टाधीन अवधि में अम्बाला शहर में राजकीय पूर्व-प्राथमिक स्कूल खोला गया है इस स्कूल के खुलने से अब राज्य मे ऐसे स्कूलों की संख्या 6 हो गई है ।

प्राथमिक शिक्षा :—

3.3 जब से हरियाणा राज्य बना है प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं में विशेष प्रगति हुई है। राज्य में 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक

शिक्षा निशुल्क तथा अनिवार्य है। यह निर्णय भी किया गया है कि राज्य के प्रत्येक गाव तथा उन सभी क्षेत्रों मे जिनकी जनसख्या 250–300 व्यक्ति है प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। किसी क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल खोलने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उस क्षेत्र मे बच्चो की संख्या पर्याप्त हो और स्थानीय जनता स्कूलों के लिए भवन भी उपलब्ध कर सके।

रिपोर्टाधीन अवधि में कुल 400 नये प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं जिन का ज़िला वार विवरण निम्नलिखित है :–

ज़िला	केवल लड़कों के लिए	सहशिक्षा	कुल
अम्बाला	1	57	58
गुड़गाव	1	95	96
हिसार	4	43	47
जीन्द	24	9	33
करनाल	9	91	100
महिन्द्रगढ	27	11	38
रोहतक	5	23	28
कुल	71	329	400

उपरोक्त 400 स्कूल मे से 390 स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में और केवल 9 शहरी छत्रों में खोले गए हैं इन स्कूलों के खुलने से राज्य में प्राथमिक स्कूलों की सख्या 4800 हो गई है

छात्रसंख्या :–

3.4 प्राथमिक स्तर पर छात्र संख्या मे हर वर्ष काफी वृद्धि हो रही है फिर भी 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग की छात्र संख्या का प्रतिशत अनुपात भारत के प्रतिशत अनुपात से काफी कम है रिपोर्टाधीन अवधि में इस आयु वर्ग के केवल 65% बच्चे ही प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं (जिन में 85.6% लड़के और 42.4% लड़किया हैं) ।

हरियाणा के लोग अधिकतर रूढ़िवादी और पिछड़े हुये विचारो के होने के कारण विशेष कर लड़कियों को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं है । राज्य सरकार लड़कियो तथा हरिजन बच्चों की छात्रसंख्या को बढाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रही है । लड़कियों को कई प्रकार की अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है । वर्ष 1972-1973 मे तीन लाख रूपये की राशि की पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त हरिजन तथा अनुसूचित जातियों के लड़कों तथा सभी वर्ग की लड़कियो मे बांटने के लिए खरीदी गईं । यह पाठ्य पुस्तकें केवल उन्ही हरिजन बच्चों को बांटी गई हैं जिनके माता पिता की औसत आय : 1000 रुपये प्रति वर्ष से कम है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक श्रेणीयों मे पढ़ने वाले बच्चों में 71,440 रुपये की लेखन सामग्री भी बच्चों में नि:शुल्क बाटी गई है । 25,000 रुपये की अतिरिक्त पढ़ने वाली पुस्तकें भी बच्चों के पढ़ने के लिए प्राथमिक स्कूलों में बांटी गईं।

वर्ष के शुरु में छात्र संख्या वृद्धि अभियान भी आयोजित किया गया और स्थानीय लोगों मे शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न की गई । इस बात पर विशेष वल दिया गया कि वे अपने वच्चों को विशेषकर लड़कियों को निकट के विदयालयों में प्रविष्ट कराएं । इस अभियान के फलस्वरुप भारी संख्या मे 6 से 11 वर्ष के आयू के बच्चों ने स्कूलों मे प्रवेश प्राप्त किया । पिछले वर्ष की अपेक्षा प्राथमिक स्तर पर रिपोर्टाधीन अवधि में 49,998 अतिरिक्त छात्र संख्या में वृद्धि हुई । इस प्रकार प्राथमिक कक्षाओं में पढने वाले बच्चो की कुल संख्या 9,69,978 (लड़के 6,75,723 और लड़कियां 3,03,255) हो गई हैं ।

अध्यापक :-

3.5 वर्ष 1972 में राजकीय प्राथमिक स्कूलों मे अध्यापक छात्र अनुपात 1:50 से कम कर के 1:35 कर दिया गया इस नार्म की आवश्यकतानुसार सारे पद वर्ष 1972-73 में देना संभव नही हो सका इसलिए केवल 1900 जे0 बी0 टी0 अध्यापको के पद स्वीकृत किए गए जिन में एक अध्यापक प्राथमिक स्कूलों के लिये 400 पद भी सम्मिलित हैं। इन 1900 नए जे0 बी0 टी0 अध्यापकों के पदों में से 900 पद ऐसे हैं जोकि केन्द्रीय सरकार को शिक्षित बेरोजगार योजना प्राथमिक शिक्षा के विकास के अधीन बनाए गए हैं इस के अतिरिक्त 8 खंड शिक्षा अधिकारी 24 कार्य अनुभव मास्टरों के पद भी बनाए गए हैं।

प्राथमिक स्कूलों में जहां छात्र सख्या 250 से अधिक है और अध्यापकों की संख्या 3-4. से अधिक है वहां बी0 ए0 बी0 एड0 मास्टर/मिस्ट्रसज़ को मुख्याध्यापिका लगाने की व्यवस्था भी की गई है। रिपोर्टाधीन अवधि में 500 जे0 बी0 टी0 अध्यापकों के पदों को बी0 ए0 बी0 एड के पदों में परिवर्तित किया गया।

निरीक्षण :-

3.6 जिला शिक्षा अधिकारी अपने-अपने जिला में शिक्षा के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। प्राथमिक स्कूलों का निरीक्षण तथा प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य में 117 खण्ड शिक्षा अधिकारियों पर है। एक शिक्षा खण्ड में लगभग औसत 40 से 50 स्कूल हैं। उप-मंडल शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी भी समय-समय पर प्राथमिक स्कलो का भी निरीक्षण करते हैं।

क्षय तथा वृद्धिरोध :-

3.7 हरियाणा राज्य में प्राथमिक स्तर पर क्षय तथा वृद्धिरोध की समस्या इतनी गम्भीर नहीं है, जितनी कि देश के दूसरे राज्यों में। फिर भी पहली प्राथमिक कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों मे से बहुत से पांचवी कक्षा तक पहुंचने से पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर इस क्षय तथा वृद्धि

रोध को रोकने के लिए विभाग द्वारा यथा सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। माता पिता का सहयोग प्राप्त करने के लिए अध्यापक घर–घर जा कर प्रचार भी करते है कि वह अपने बच्चों को स्कूलों में भेजा करें।

माध्यमिक शिक्षा :–

3.8 माध्यमिक शिक्षा में पिछले पांच छः वर्षों से बहुत ही वृद्धि हुई है। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होने के कारण माध्यमिक शिक्षा का विकास होना स्वाभाविक ही है। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में 1092 उच्च तथा उच्चतर और 781 मिडल विद्यालय हैं जिनका विवरण नीचे दिया है :–

स्तर	राजकीय	अराजकीय	कुल
मिडल स्कूल	749	32	781
उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।	900	192	1092

छात्रसंख्या :–

3.9 प्राथमिक कक्षाओं में बढ़ती हुई छात्रसंख्या का प्रभाव माध्यमिक कक्षाओं पर भी विशेष रुप से पड़ा है। मिडल तथा उच्च, उच्चतर स्तर पर पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा 21,931 तथा 8,895 क्रमशः बढी है। मिडल तथा उच्च, उच्चतर स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों का विवरण नीचे दिया गया है :—

स्तर	लड़के	लड़कियां	कुल
माध्यमिक स्तर	2,77,129	85,437	3,62,566
उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर।	1,39,878	30,693	1,70,571

अध्यापक :–

3.10 रिपोर्टाधीन अवधि मे मिडल स्कूलों के लिए 308 अध्यापकों के पद स्वीकृत किये गये जिन मे से 100 पद बी0 ए0, बी0 एड0 अध्यापकों के और 208 पद जे0 बी0 टी0/ओ0 टी0 इत्यादि के थे । उच्च तथा उच्चतर स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी 200 पद बी0 ए0 बी0 एड0 मास्टरों/मिस्ट्रैसो के स्वीकृत किये गये । इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए वर्ष 1972-73 में कुल 508 पद अध्यापकों के और बने हैं।

सहशिक्षा की नीति :–

3 11 लगभग सभी प्रायमिक विद्यालयों मे सहशिक्षा है । माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों मे भी सहशिक्षा की स्वीकृति वहा की स्थानीय जनता के अनुरोध पर दे दी जाती है । राज्य के बहुत से माध्यमिक तथा उच्चतर विद्यालयो में सहशिक्षा सफलतापूर्वक चल रही है।

विद्यालयों में दोहरीपारी प्रणाली :-

3 12 पिछले कुछ वर्षों में सभी प्रकार की सस्थाओ में छात्रसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है परन्तु भवनों मे भौतिक सुविधाओं का विकास उस गति से नहीं हुआ । कुछ विद्यालयों में भौतिक सुविधाओ के अभाव के कारण उन में दोहरीपारी प्रणाली शुरु करने की अनुमति दी गई । वर्ष 1972-73 में 3 विद्यालयो मे दोहरीपारी प्रणाली शुरु करने की आज्ञा दी गई है । अब विद्यालयों में दोहरीपारी प्रणाली लागू करने तथा सहशिक्षा आरम्भ करने की शक्तियां जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रदान की जा चुकी हैं। यह दोनों योजनाएं सफलता पूर्वक चल रही हैं ।

व्यवसायिक मार्गदर्शन की सुविधा :–

3.13 आज के विज्ञान के युग मे माध्यमिक तथा उच्च, उच्चतर स्तर पर छात्रों को व्यवसायिक मार्ग दर्शन देने की अति आवश्यकता है। इस

समय 7 जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों मे एक-एक सहायक परामर्शदाता की नियुक्ति की हुई है। अन्य तीन नये जिलों में अभी इन पदों को बनाया जाना है। उच्च/उच्चतर विद्यालयों के कुछ मास्टरों को भी कैरियर मास्टर के तौर पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कैरियर मास्टर अपने-अपने विद्यालयो मैं सहायक परामर्शदाता के सहयोग से विद्यार्थियों को व्यवसायिक मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान :-

3 14 1-12-67 से अराजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों के परिशोधन के फलस्वरुप पुरानी और परिशोधित दरो पर वेतन/भत्ते का शत प्रतिशत अन्तर अनुदान के रुप मे दिया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि मे 37.33 लाख रुपये की राशि अराजकीय विद्यालयों की प्रबन्धक कमेटियों को सहायता अनुदान के रूप में दी गई ताकि अपने अध्यापको को परिशोधित दरों पर वेतन का भुगतान कर सके।

भाषा नीति,-भाषाई अल्प संख्या :-

3.15 हरियाणा एक भाषी राज्य है और इस की राज्य भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी ही से सभी विद्यार्थियो मे अनिवार्य तौर से प्रथम भाषा के रुप में पढ़ाई जाती है उच्च तथा उच्चतर स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है।

विद्यालयो मे छटी कक्षा से अंग्रेजी दूसरी भाषा के रुप में पढाई जाती है। इन विषयो के अतिरिक्त विद्यालयो मे राष्ट्र एव भावात्मक एकता लाने के लिए तीसरी भाषा के रूप मे दक्षिण भारत की तैलगू भाषा सातवी तथा आठवी कक्षाओ मे पढ़ाई जाती है। सातवी तथा आठवी श्रेणियो मे पजाबी, उर्दू तथा सस्कृत और तैलगू में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप मे कर सकता है।

हरियाणा में भाषाई अल्प संख्याओं के हित के लिए अपनी भाषा के अध्ययन करने का भी हरियाणा सरकार ने विशेष अधिकार दे रखा है यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा मे 10 बच्चे या स्कूल मे 40 से अधिक विद्यार्थी अपनी भाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विषय के रूप में पढ सकते है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार उन को इस विषय मे शिक्षा लेने के लिए सुविधा प्रदान करती है। उन अराजकीय विद्यालयो को जिन मे हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी था। उन मे पजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिए सरकार ने विशेष अनुमति दी है।

तैलगू भाषा की शिक्षा :-

3.16 वर्ष 1972-73 मे चार और स्कूलों में इस भाषा को पढाने का प्रबन्ध किया गया है तैलगू पढाने वाले अध्यापकों को मैसूर भाषा संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करवाया जाता है अब तक कुल 55 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। तैलगू भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धियो के बराबर राशि भत्ते के रूप में प्रति मास तैलगू भाषा पढाने के लिए दी जाती है तथा सातवी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को प्रति स्कूल तीन छात्रवत्तियाँ 10 रुपये प्रति मास के हिसाब से दो वर्ष के लिए दी जाती है अर्थात् सातवी में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला छात्र आठवी मे भी छात्रवृत्ति प्राप्त करेगा।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड :-

3.17 शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियो की उच्च तथा उच्चतर स्तर पर परीक्षा लेने का कार्य करता है इस के अतिरिक्त यह बोर्ड शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार उच्चतर श्रेणीयो के लिए पाठ्यक्रम नियत करता है तथा पाठ्य पुस्तको की स्वीकृति भी प्रदान करता है ताकि विद्यार्थियो को निश्चित कीमत पर पुस्तके प्राप्त हो सके।

अध्याय चौथा

महाविद्यालय शिक्षा

4.1 पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में तीव्र प्रसार के फलस्वरूप उच्च शिक्षा के हर क्षेत्र मे रिपोर्टाधीन अवधि में विशेष प्रगति हुई है। उच्च शिक्षा के लिए बढ़ता माग के कारण राज्य में महाविद्यालयों की संख्या में भी उसी गति से वृद्धि होती जा रही है।

महाविद्यालयों की संख्या :

4.2 रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में निम्नलिखित पांच और नए अराजकीय महाविद्यालय स्थापित हुए हैं :—

(1) ज्ञानपुरा महाविद्यालय, घरौडा (करनाल).

(2) इन्द्रा कालिज डूबलपुरा (रोहतक)

(3) सैनी कालिज, रोहतक।

(4) राष्ट्रीय जुबली कालिज, रिवाड़ी।

(5) छोटू राम किसान कालिज, जींद।

इन पाच नए महाविद्यालयों के खुलने से राज्य में महाविद्यालयों की कुल संख्या अब 99 हो गई है जिन में से 15 राजकीय महाविद्यालय हैं और 84 अराजकीय महाविद्यालय हैं। अराजकीय महाविद्यालय का प्रबन्ध उन की स्थानीय प्रबन्धक समितियां चलाती हैं। केवल दो महाविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबन्धित हैं और बाकी 97 महाविद्यालय इस समय पंजाब विश्वविद्यालय से संबन्धित हैं।

छात्र संख्या :—

4.3 रिपोर्टाधीन अवधि में अगस्त, 1972 की स्थिति अनुसार हरियाणा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कुल छात्रों की संख्या 79,304 है जिन में 62,300 लड़के और 17,004 लड़कियां हैं। इनमें से 76,811 छात्र हरियाणा मे स्थित महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहें है। बाकी 2493 छात्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के भिन्न-भिन्न विभागों मे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

सस्था	लड़के	लड़किया	कुल
राजकीय महाविद्यालय	13,315	33,41	16,656
अराजकीय महाविद्यालय	46,850	13,305	60,155
कुल छात्र	60,165	16,646	76,811

4.4 उच्च स्तर पर शिक्षा सुविधाओं के प्रसार के अतिरिक्त कई और विषयों की शिक्षा की सुविधा भी निम्नलिखित महाविदयालयों में उपलब्ध की गई है।

बी0एस0सी0 तथा कोमरस क्लासिज	बी0 एन0 सी0 राजकीय महाविद्यालय, भिवानी।
बी0एस0सी0 तथा कोमरस क्लासिज	राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद।
बी0एस0सी0 बोटनी तथा जूलोजी	राजकीय महाविद्यालय, नारनौल।
कोमरस कक्षाएं	राजकीय महाविद्यालय, जींद।
सोशोलोजी कक्षाएं	राजकीय महाविद्यालय, गुड़गाव।
एम0 ए0 अंग्रेजी तथा राजनीति शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, भिवानी।
संगीत कक्षाएं	नेहरू महाविद्यालय, झझर।

बी0एन0 राजकीय महाविद्यालय, भिवानी में एम0ए0 अंग्रेजी, राज-नीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र की सायकालीन कक्षाओं का भी प्रबन्ध किया गया है ।

महा विद्यालय स्तर पद सृजन :—

4.5 छात्रसंख्या में हुई वृद्धि के कारण तथा नए चालू किए गए विषयों में सुचारु रूप से शिक्षा देने के लिए राजकीय महाविद्यालयो के लिए रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया है ।

(1)	ज्येष्ठ व्याख्याता	19
(2)	प्राध्यापक	60
(3)	सहायक	1
(4)	आशुलिपिक	1
(5)	लिपिक	4
(6)	ज्येष्ठ पुस्तक सहायक	2
(7)	वरिष्ठ पुस्तक सहायक	6
(8)	अनुदेशक	3
(9)	प्रयोगशाला सहायक	13
(10)	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	13
(11)	गैसमैन	2
	कुल	124

विश्वविद्यालय तथा अराजकीय महाविद्यालय को अनुदान :—

4.6 इस अवधि में शिक्षा विभाग तथा राज्य सरकार का ध्यान केवल राजकीय महाविद्यालय में विकास कार्य सम्बन्धी योजनाओं पर ही केन्द्रित नहीं रहा अपितु अराजकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में विकास कार्यों को चालू रखने के लिए अनुदान भी दिया गया जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कौमिटिड ग्रान्ट योजनेतर	42,24,069 रु0
विकास अनुदान (योजना)	30,00,000
पंजाब विश्वविद्यालय (योजनेतर)	20,00,000

रिपोर्टाधीन अवधि में पंजाब विश्वविद्यालय को 4.80 लाख रुपए पोस्ट ग्रेजूएट रिजनल सैन्टर, रोहतक के लिए भी दिए गए। इस अवधि में अराजकीय महाविद्यालय को चार प्रकार के अनुदान प्रदान किए गए जिन का विवरण इस प्रकार है :—

(1)	अनुरक्षण अनुदान	9,04,610
(2)	विशेष अनुरक्षण अनुदान	93,000
(3)	अतिरिक्त अनुरक्षण अनुदान	68,601
(4)	यू0जी0सी0 अनुदान	24,13,995

कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय : —

4.7 यह विश्वविद्यालय वर्ष 1956 में आरम्भ हुआ था इस विश्व-विद्यालय के साथ केवल वहां के निम्नलिखित महाविद्यालय ही सम्बन्धित हैं क्योंकि यह विश्वविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय की तरह सम्बद्ध विश्व विद्यालय नहीं हैं :—

(1) राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।

(2) राजकीय महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।

(3) यूनिवर्सिटी महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।

(4) कृषि महाविद्यालय, कौल ।

इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए 13 विषयों में एम0ए0 के अध्ययन करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं । पिछले कुछ वर्षो से इस विश्व-विद्यालय मे अनुसंधान करने की भी सुविधा प्रदान की गई है । इस विश्व-विद्यालय के विभिन्न विभागो में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2,493 थी जिन में 2135 लड़के और 358 लडकिया हैं ।

पंजाब विश्वविद्यालय :-

पंजाब विश्वविद्यालय एक सम्बन्धित विश्वविद्यालय है जो कि केन्द्रीय क्षेत्र चण्डीगढ मे स्थित है इस के साथ हरियाणा राज्य के 84 अराजकीय महाविद्यालय और 13 राजकीय महाविद्यालय सम्बन्धित है सभी महाविद्यालय पजाब विश्वविद्यालय को शिक्षा नीति को अपनाते हैं पोस्टग्रेजुएट रिजनल सैन्टर रोहतक में विद्यार्थियों को एम0 ए0 के कुछ विषयों के अध्ययन करने की भी सुविधा प्रदान की हुई है । यह केन्द्र पंजाब विश्व विद्यालय के नियन्त्रण के अधीन चल रहा है। इस के विकास के लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष पजाब विश्व विद्यालय को अनुदान देती रहती है ।

अध्याय पांचवा

शिक्षक प्रशिक्षण

5.1 राज्य में शिक्षा का स्तर अध्यापक प्रशिक्षण पर ही आश्रित है। पिछले कुछ वर्षों मे शिक्षा के क्षेत्रमें महत्वपूर्ण प्रयोग हो रहे हैं। एक अध्यापक भी अपने अध्यापन कार्य में निपुण माना जा सकता है यदि वह अपने आपको समय की गति-विधियों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र मे हो रहे अनुसधानों और प्रयोग से परिचित रखे।

5.2 अध्यापक को अपने व्यवसायिक जीवन की वृद्धि और निपुणता के लिए निम्नलिखित दो प्रकार के प्रशिक्षणों की आवश्यकता है।

(1) सेवा काल से पहले।
(2) सेवा अवधि के दौरान (सेवा कालीन)।

सेवा काल से पहले का प्रशिक्षण व्यक्ति को व्यवसायिक जीवन के लिए निर्मित करता है। सेवा कालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता और भी अधिक महत्व रखती है क्योंकि इस प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा अध्यापक को नवीनतम शिक्षा प्रवृतियों और शैक्षाणिक रीतियों से परिचित रखा जाता है।

5 3 पिछले कुछ वर्षो से प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं में विशेष प्रसार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप जे0बी0टी0 तथा बी0एड0 प्रशिक्षित अध्यापक पर्याप्त सख्या में उपलब्ध हो गए हैं। जिसके कारण वर्ष 1970-71 मे कोई भी जे0बी0टी0 कक्षा राज्य में आरम्भ नही की गई थी।

5.4 अब चूंकि प्राथमिक शिक्षा सर्वमान्य तथा अनिवार्य है इसलिए शिक्षा विभाग हर सभव प्रयत्न कर रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में 6 से 11 वर्ष

के बच्चो को स्कूलों मे प्रविष्ट किया जा सके । छात्र सख्या अभियान के फलस्वरुप पिछले दो–तीन वषो मे प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सख्या में काफी वृद्धि हुई है और यह भी अनुभव किया जाने लगा है कि आने वाले कुछ वर्षों मे इस से भी अधिक संख्या मे बच्चे प्राथमिक कक्षाओ में प्रवेश प्राप्त करेगें। इस स्थिति को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 1972-73 से जे0बी0टी0 प्रशिक्षण की कक्षायें आरम्भ कर दी।

उच्चतर स्नातक स्तर पर प्रशिक्षण देने और माध्यमिक कक्षाओं के लिए पर्याप्त सख्या मे प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धी का उत्तरदायित्व विश्व-विद्यालय पर है। अवर स्नातक तथा प्राथमिक कक्षाओ के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण करने का कार्य राज्य शिक्षा विभाग पर है।

बेसिक शिक्षा प्रणाली :—

5.5 बेसिक शिक्षा प्रणाली प्रायः बालक के जीवन से सम्बन्ध रखती है इसका मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है इस के द्वारा बच्चो का सर्वांगान विकास किया जा सकता है क्योंकि यह प्रणाली सामाजिक और निजी वातावरण के अनुकूल है ।

साधारणत: हमारे देश की शिक्षा प्रणाली शिक्षात्मक ही रही है परन्तु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बुनियादी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। जे0बी0टी0 तथा बी0 एड प्रशिक्षण भी इसी प्रणाली का अनुकरण करता है । इन कक्षाओं का पाठ्यकम भी बुनियादी शिक्षा पर ही आधारित है । इन प्रशिक्षण कक्षाओं मे अध्यापकों को प्रयोगात्मक क्रियायों द्वारा कृषि, कताई, बुनाई, कागज़ गत्तो का सामान, मिट्टी का काम, लोहा तथा चमड़े के काम द्वारा बालको को शिक्षा देने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

सेवा से पहले प्रशिक्षण :—

5.6 रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य मे कई प्रकार की प्रशिक्षण की कक्षायें चल रही है ।

(1) जे0बी0टी0 भाग प्रथम तथा द्वितीय :- प्राथमिक कक्षाओं के लिए

(2) भाषा अध्यापक प्रशिक्षण कक्षायें :- हिन्दी/पजाबी/संस्कृत आदि विषयों के लिए ।

(3) नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण कक्षायें :- 6 से कम आयु के बच्चो के लिए ।

(4) बी0एड0 प्रशिक्षण :- माध्यमिक कक्षा के अध्यापकों के लिए ।

(5) एम0एड0 प्रशिक्षण ।

जे0बी0टी0 कक्षायें :--

5.7 जे0बी0 टी0 प्रथम भाग कक्षा कक्षाये इस वर्ष 9 सर्वसम्पन निम्नलिखित राजकीय जे0बी0टी0 विद्यालयों में आरम्भ की गई है । इन सस्थाओं मे 18 यूनिट (एक युनिट 40 विद्यार्थियों के लिए) दो युनिट प्रति सस्था के अनुसार, विद्यालयो को अनुमति दी गई है । राजकीय क्षेत्र में इस प्रशिक्षण की स्वीकृति नही दी गई है ।

(1) जे0 बी0 टी0 स्कूल नारायणगढ़ (अम्बाला)।

(2) जे0बी0टी0 स्कूल छछरौली (अम्बाला)।

(3) जे0बी0टी0 स्कूल कुरुक्षेत्र।

(4) जे0बी0टी0 स्कूल खुगांकोठी (जीन्द)।

(5) जे0बी0टी0 स्कूल बहादरगढ़ (रोहतक)।

(6) जे0बी0टी0 स्कूल दुजाना (रोहतक)।

(7) जे0बी0टी0 स्कूल फरीदाबाद (गुड़गाव)।

(8) जे0बी0टी0 स्कूल राखोशाहपुर (हिसार) ।

(9) जे0बी0टी0 स्कूल, पावड़ा (हिसार) ।

ओ0टी0 की कक्षायें :—

5 8 राज्य में संस्कृत भाषा तीसरी भाषा के रुप में पढ़ाई जा रही है इसलिए संस्कृत पढने वाले विद्यार्थियों की सख्या मे काफी वृद्धि हुई है जिस से संस्कृत अध्यापकों की माग बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त हिन्दी और पंजाबी भाषा के अध्यापक प्रशिक्षण की श्रेणिया आरम्भ करने की अनुमति भी अराजकीय क्षेत्र में दी गई है। इस प्रशिक्षण की बाट इस प्रकार है।

(1)	ओ0टी0 हिन्दी	11 युनिट	440 विद्यार्थियों के लिए
(2)	ओ0टी0 सस्कृत	4	160 विद्यार्थियो के लिए
(3)	ओ0टी0 पंजाबी	5	200 विद्यार्थियों के लिए

नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण कक्षायें :—

5 9 वर्ष 1972-73 में नर्सरी प्रशिक्षण की कक्षा केवल अराजकीय विद्यालयो मे ही चल रही है। इस प्रशिक्षण के लिए केवल 6 युनिट (240) विद्यार्थियों को अनुमति दी गई है।

बी0 एड0 प्रशिक्षण कक्षायें :—

5 10 माध्यामक कक्षाओं के लिए उच्चतर स्नातक बी0एड0 अध्यापकों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करने हेतू पंजाब विश्यविद्यालय ने राज्य में 11 शिक्षा महाविद्यालयों को बी0एड प्रशिक्षण की कक्षायें जारी रखने को स्वीकृति वर्ष 1972—73 में दी थी इस के अतिरिक्त शिक्षा महाविद्यालय कुरुक्षेत्र में भी बी0 एड0 का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन सभी महाविद्यालओं में 1,239 लड़को और 1,097 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया।

एम0 एड0 की कक्षायें :—

5.11 राज्य में एम0 एड0 की शिक्षा की सुविधाएं केवल राव वीरेन्द्र सिंह शिक्षा महाविद्यालय रिवाड़ी और कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय मे उपलब्ध हैं इन दोनों सस्थाओं में विद्यार्थी एम0 एड0 की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

सेवाकालीन प्रशिक्षण :-

5.12 अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण देने में राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य विज्ञान सस्थान तथा दूसरे विकास केन्द्र (Extention Services Centres). महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं पिछले वर्षो की भाति रिपोर्टा–अधीन अवधि मे राज्य शिक्षा सस्थान में कुल 80 सेवाकालीन प्राशिक्षण शिविर आयोजित किए गए जिन में 2012 अध्यापक/अध्यापिकाओं/खण्ड शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इन प्राशिक्षण शिविरों मे शिक्षा की भिन्न–भिन्न समस्यायों पर विचार किया गया और अध्यापकों को उन के समाधान के लिए मार्ग दर्शन भी दिया गया । इन प्रशिक्षणों में भिन्न–भिन्न विषयों के नये पाठ्यक्रमों तथा उन से सम्बन्धित विभिन्न विभिन्न शिक्षण विधियों का भी ज्ञान कराया गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निरीक्षण कार्य से सम्बन्धित विविध विषयों का गहन प्रशिक्षण भी दिया गया ।

राज्य विज्ञान सस्थान अध्यापकों को विज्ञान शिक्षा शिक्षण में प्रशिक्षण देता है लगभग 200 अध्यापकों को विज्ञान की नई विधियों से कक्षा तीसरी में विज्ञान शिक्षा देने के लिए दिया गया इस के अतिरिक्त 182 बी0 एस0 सी0, बी0 एड0 अध्यापकों और 300 जे0 बी0 टी0 अध्यापकों को तीन मे लेकर 6 सप्ताह तक का प्रशिक्षण दिया गया ।

अध्याय छठा

समाज शिक्षा

6.1 पिछले 10 वर्षों में (1961–1971) हरियाणा राज्य की साक्षरता मे लगभग 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता 26.6 प्रतिशत है जब कि 1961 में केवल 19.9 प्रतिशत थी, परन्तु आज भी राज्य की 73.4 प्रतिशत जनता अशिक्षित है । इन को शिक्षित करने के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य में कई प्रकार की समाज शिक्षा परियोजनाएं आरम्भ की हुई हैं ताकि आधुनिक युग के ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाया जा सके । इस समय राज्य मे प्रौढ शिक्षा के लिए तीन प्रकार की परियोजनाएं चल रही हैं ।

(1) समाज शिक्षा केन्द्र ।

(2) किसान साक्षरता योजना ।

(3) ग्राम शिक्षा मुहिम ।

समाज शिक्षा केन्द्र :—

6.2 यह शिक्षा केन्द्र अभी जिला जीद और महेन्द्रगढ़ में ही चल रहे हैं । इन जिलों में चुने हुए गांवों में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य किया जाता है इन गांवों मे चलते फिरते शिक्षा सुकैंड लोगों को शिक्षित करते हैं एक सुकैंड में लगभग 30 अध्यापक होते हैं जिन में पुरुष तथा स्त्रीयां भी सम्मिलित है । इन समाज शिक्षा केन्द्रों के निरीक्षण का कार्य दो अधिकारियों द्वारा किया जाता है । जिनमें एक मुख्य (हैड) सुकैंड तथा एक महिला निरीक्षण अधिकारी है । यह दोनों अधिकारी इन केन्द्रों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जिला

शिक्षा अधिकारी को अपने कार्य के लिए उत्तरदायी हैं । इन केन्द्रों में शिक्षा देने के कार्य का समय लोगों की सुविधा के अनुसार रखा जाता है । महिलाओं के लिए यह केन्द्र दोपहर बारह बजे से सांय 5 बजे तक चलाए जाते है और पुरुषों के लिए सांय 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलाए जाते हैं । इस वर्ष इन जिलों में इन केन्द्रों में साधारणतः निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ।

(1) शिक्षा तथा कार्य प्रशिक्षण ।

(2) खेलकूद तथा अन्य विनोद क्रियाएं इत्यादि ।

(3) समाज सेवा ।

(4) चर्चा तथा प्रवचन ।

महिलाओ के केन्द्रों में पढ़ने लिखने के अतिरिक्त घरेलू लाभदायक शिल्पों का ज्ञान भी दिया जाता है । गृह कार्य में निपुणता के लिए पौष्टिक खुराक को तैयार करने की भी पूरी–पूरी जानकारी दी जाती है । यह केन्द्र एक स्थान पर प्रायः 6 मास तक वहां की जनता को शिक्षा देते हैं तथा वहाँ की जनता के अनुरोध पर इन केन्द्रों की अवधि को 3 मास और बढ़ाने की भी अनुमति प्रायः दे दी जाती है ।

इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग की ओर से समाज शिक्षा सम्बन्धी एक चलती फिरती गाड़ी जिस में जन स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी, फिल्में जो शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करती है, दिखाई जाती है।

किसान साक्षरता योजना :–

6.3 यह परियोजना वर्ष 1969-70 में सब से पहले रोहतक ज़िले में आरम्भ की गई थी अब इस योजना का विस्तार हिसार, गुड़गाव, करनाल और अम्बाला जिलों में भी कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत हर जिले में

60 केन्द्र बनाये गये हैं। हर केन्द में 30 प्रौढ़ों को शिक्षित करने की व्यवस्था की गई है । सारे राज्य में 1,158 केन्द है और 34,740 प्रौढ़ों को शिक्षित करने की व्यवस्था है।

ग्रामीण जनता को न केवल पढ़ने लिखने योग्य ही बनाया जाता है अपितु कृषको को कृषि सम्बन्धी विशेष जानकारी भी दी जाती है उन्हें कृषि करने और उपज बढ़ाने के अनेक नये-नये ढंग भी सिखाये जाते हैं । वर्ष 1972-73 में भारत सरकार ने इस योजना के लिए राज्य सरकार को अनुदान दिया इस सम्बन्ध में प्रौढ़ों के लिए उनकी रूचियों के अनुसार पाठ्य-सामग्री भी तैयार करवाई जा रही है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, सहकारी-विभाग तथा उद्योग विभाग के साथ मिलकर बनाया जा रहा है।

ग्राम शिक्षा मुहिम :-

6.4 प्रौढ़ शिक्षा की यह स्कीम (ग्राम शिक्षा मुहिम) महाराष्ट्र के नमूने के अनुसार चलाई जा रही है। यह योजना इस समय अम्बाला, करनाल और रोहतक मे कार्यान्वित हैं। प्रत्येक ज़िला में 100-100 गावों को चुना गया जहां कि इस स्कीम को आरम्भ किया गया है । यह स्कीम जिला शिक्षा अधिकारियों की देख-रेख में चलाई जा रही है । प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको को लगाया जाता है । उन्हें इस अतिरिक्त कार्य के लिए 10 रुपए अतिरिक्त मासिक भत्ता भी दिया जाता है । वर्ष 1972-73 में इन जिलों में इस स्कीम को कार्यान्वित करने हेतु 1,58,700 रुपए की बजट व्यवस्था भी की गई थी ।

इस स्कीम के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा के कार्य का विस्तार वर्ष 1972-73 में कुरूक्षेत्र, भिवानी और सोनीपत में भी आरम्भ कर दिया गया है । इससे पूर्व प्रौढ शिक्षा का कार्य करनाल, रोहतक, अम्बाला, हिसार और गुड़गांव में चल रहा था । इस समय प्रौढ शिक्षा का कार्य हरियाणा राज्य के 8 जिलों में हो रहा है । जिला भिवानी, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, हिसार और गुड़गांव के लिए 84,750 रुपए की व्यवस्था योजना बजट में की गई थी ।

अध्याय सातवां

महिला शिक्षा

7 1 शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सहायता देती है इस के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीन विकास होता हैं इसलिए जब से देश स्वतन्त्र हुआ है महिला शिक्षा के महत्व को सभी ने अनुभव किया है। किसी ने ठीक ही कहा है कि, "यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप सारे परिवार को शिक्षित कर लेगें और यदि एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति ही शिक्षित होता है ।"

इसलिये महिला शिक्षा की अनिवार्यता के महत्व को जानते हुए इन वर्षों में महिला शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया गया है।

7.2 आदि काल से ही हरियाणा राज्य स्त्री शिक्षा में बहुत ही पिछड़ा हुआ था और आज भी है । प्रत्येक आयु वर्ग में शिक्षा पाने वाली कन्याओं का प्रतिशत औसत समस्त भारत के प्रतिशत औसत से काफी कम रहा है। पिछले पाच वर्षों से राज्य सरकार का ध्यान इस वर्ग में शिक्षा की असमान्यता को कम करने के लिए विशेष रुप से रहा है। जिस के फलस्वरूप प्रत्येक स्तर पर कन्याओं की सख्या निरन्तर बढ रही है। यह बात 1971 की जनगणना के अनुसार महिलाओ की साक्षरता प्रतिशत मे होने वाली वृद्धि से स्पष्ट हो जाती है। वर्ष 1961 में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत केवल 9.2 थी जब कि वर्ष 1971 में यह साक्षरता बढ़कर 14.68 प्रतिशत हो गई है।

7.3 वर्ष 1972-73 मे कई प्रकार की विशेष सुविधाएं पढ़ने वाली लड़कियो को स्कूलो मे उपलब्ध की गई हैं ताकि अधिक सख्या मे ग्रामीण तथा पिछड़े हुए शहरी क्षेत्रों की लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सकें।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक राजकीय विद्यालयों मे लडकियों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भी स्कूलों मे लड़कियों से लडकों की अपेक्षा आधी टयूशन फीस ली जाती है। अराजकीय विद्यालयों में छटी से लेकर ग्यारहवी तक कन्याओं से फीस आधी ली जाती है।

(ख) रिपोर्टाधीन अवधि में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली कन्याओं को सरकार की ओर से लगभग तीन लाख रुपये की मुफ्त पाठ्य पुस्तकें भी बांटी गईं।

(ग) मदीना (जिला रोहतक) और नाहरा (जिला सोनीपत) में लडकियों तथा महिला अध्यापकों के लिए संयुक्त छात्रावासों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त तोशाम (भिवानी) में भी ऐसा छात्रावास बनाने की व्यवस्था की गई है।

(घ) नोवी, दसवी तथा ग्यारहवी कक्षाओं में पढने वाली उन हरिजन कन्याओं को क्रमश: 20, 25 और 30 रुपये की दर से योग्यता छात्र वृत्ति भी दी जाती है जो आठवी कक्षा के वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करती है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक कक्षा के लिये 50, 50 छात्रवृतिया उपलब्ध हैं।

(ङ) जे0बी0टी/ओ0 टी0 नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाओं में प्रवेश के लिए कन्याओं के लिए कम से कम आयु की सीमा नहीं रखी जाती है। विधवाओं, पतियो से अलग रहने वाली तथा विवाह विच्छेद वाली स्त्रीयों को दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है। इनके लिए कुछ स्थान भी आरक्षित रखे जाते हैं। यही नहीं, ऐसी स्त्रीयों को अधिकतम आयु में भी साधारणतय: ढील दे रखी है। यह स्त्रीया 31 वर्ष तक प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं जबकि पुरुषो के लिये अधिकतम आयु 26 वर्ष है।

(च) जहा पर कन्याओं के स्कूल नही है वहा पर कन्याओं को लड़कों के स्कूल में प्रवेश दिया जाता है यद्यपि लड़को के संबंध में ऐसी प्रथा नही है। कुछ प्राथमिक विद्यालय केवल लड़कियो के लिए हैं और बाकी सभी सह शिक्षा के हैं।

छात्रवृत्तियां :—

7 4 राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की अतिरिक्त छात्रवृत्तियां केवल लड़कियों को इस विचार से भी दी जाती हैं कि वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनके माता–पिता तथा संरक्षक कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा में बाधक न बन सकें। अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियों को भी प्रोत्साहन देने के लिए महाविद्यालय स्तर पर उन लड़कियो को निशुल्क शिक्षा दी जाती है जिन के माता-पिता तथा संरक्षक की आय निश्चित सीमा से कम हो इसके अतिरिक्त लड़कियों को अन्य छात्रवृत्तियां और वित्तिय अनुदान भी दिया जाता है। अराजकीय संस्थाओं को इस वर्ग की कन्याओं को निशुल्क शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष सहायता अनुदान भी दिया जाता है। कन्याओं को वर्ष 1972–73 में दी गई छात्रवत्तियों का ब्योरा इस प्रकार है :–

छात्रवृत्ति का नाम	छात्रवृत्तियों की संख्या केवल लड़कियों के लिए	मासिक दर
(1) मिडल स्कूल छात्रवृत्ति	1014	10 रूपये
(2) उच्च स्कूल योग्यता छात्रवत्ति	668	15 रूपये
(3) राज्य योग्यता छात्रवृत्ति, उच्च, उच्चतर माध्यमिक (प्रथम भाग)	95	22 रूपये
(4) भारत सरकार की योग्यता छात्रवृत्ति संस्कृत पढने के लिए मिडल स्कूल परीक्षा के आधार पर उच्च कक्षा के लिए।	50	10 रूपये
(5) महाविद्यालय स्तर पर		
(क) एम0ए0/एम0एस0सी0	भिन्न–भिन्न परीक्षा में 666	300 रूपये

(ख)	बी0ए0/बी0एस0सी	योग्यता के आधार पर	110 रूपये
(ग)	प्रैप		45 रूपये
(घ)	उच्चतर माध्यमिक (भाग 11)		45 रूपये

(6) हरिजन छात्राओं के लिए योग्यता छात्रवृत्ति योजना :–

(ix)	50	20 रुपये
(x)	50	25 रुपये
(xi)	50	30 रुपये

महिला विद्यालयों की संख्या :—

7.5 वर्ष 1972-73 मे निम्नलिखित राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों में केवल महिलाओं को शिक्षा देने की सुविधा थीं :—

संस्था का प्रकार	राजकीय	अराजकीय	कुल
मिडल स्कूल	80	12	92
उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	120	65	185
महाविद्यालय	2	19	21

पिछले कुछ वर्षों से महिला विद्यालयों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि उन सभी स्थानों पर जहां पर कि कन्याओं के लिए अलग विद्यालय नहीं है वहां पर कन्याओं को लड़कों के स्कूलों में प्रविष्ट होने की सुविधा दी गई है। अब प्रायः लोगों में भी स्त्री शिक्षा के प्रति वह

उदासीनता नहीं रही है। छोटे-छोटे गांवों में लड़कियो के लिए अलग स्कूल खोलने में भी खर्च अधिक आता है इसलिए वहां के लड़कों के स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की अनुमति भी दे दी जाए। इन सुविधाओं के देने के अतिरिक्त कन्याओं के लिये अलग प्राथमिक विद्यालय भी सरकार निम्नलिखित शर्तों पर खोल देती है।

(1) यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की मांग हो।

(2) यदि स्थानीय जनता स्कूल के भवन के लिये प्रबन्ध करें।

(3) यदि 30–40 कन्यायें स्कूल में प्रवेश होने के लिये उपलब्ध हों।

(4) यदि एक मील के दायरे में कोई और कन्याओ के लिए स्कूल न हो।

महिला छात्र संख्या :—

7.6 रिपोर्टाधीन अवधि मे भी महिला छात्राओं की संख्या में भी उत्साहपूर्ण वृद्धि हुई है जो कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :—

शिक्षा अवस्था	वर्ष 1971–72	1972-73	वृद्धि
पहली से पांचवी	2,66,436	3,03,255	36,719
छट्ठी से आठवीं	75,076	85,437	10,361
नौंवी से ग्यारहवी	34,271	39,693	5,422
महाविद्यालय स्तर पर	14,391	17,004	2,613

7.7 नेहरू महाविद्यालय झज्जर मे महिलाओं की रूचियों के अनुसार संगीत की कक्षायें भी आरम्भ कर दी गई हैं।

अध्याय आंठवां

शिक्षा सुधार कार्यक्रम :-

8 1 शिक्षा सुधार कार्यक्रमों में राज्य शिक्षा संस्थान तथा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान का विशेष महत्व है। इन दोनों संस्थानों मे अध्यापकों को शिक्षा कार्यों में मार्गदर्शन देने के लिए कई प्रकार के अनुसंधानों तथा शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का हल ढूढ़ने का प्रयास किया जाता है। अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण देने की पूरी–पूरी व्यवस्था की गई है। हर वर्ष कई प्रकार के प्रशिक्षण कोर्सों का आयोजन किया जाता है।

राज्य शिक्षा संस्थान :—

8 2 राज्य शिक्षा सस्थान की स्थापना राज्य मे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर मे गुणात्मक सुधार करने के लिए वर्ष 1969–70 में की गई थी। इस सस्था का कार्य चार भागों में विभाजित किया हुआ है। वर्ष 1972-73 में किये गये कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र0स0 अनुभाग	सेवा कालीन प्रशिक्षण शिविर	भाग लेने वालों की संख्या
(1) सदर्शन	10	302
(2) मुल्यांकन	10	252
(3) भाषा	12	475
(4) श्रव्य दृश्य	13	276
(5) सेवा कालीन प्रशिक्षण	21	446
(6) विज्ञान	4	83
(7) सेवा प्रसार	10	178
कुल जोड़	80	2,012

अनुस्थापन एंव सेवा कालीन प्रणिक्षण के अन्तर्गत जो उपर्युक्त कार्य किए गए उन में से निम्नलिखित प्रशिक्षण कोर्स विशेष उल्लेखनीय है। :—

15–6–72 से 14–7–72 तक एक मास का प्रशिक्षण कोर्स हरियाणा प्रदेश के अपरिशिक्षत अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए किया गया। इस में 49 अध्यापक/अध्यापिकाओं को हिन्दी/सामाजिक/गणित/समान्य विज्ञान आदि विशेष विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों से पाठ्य विषयों से सम्बन्धित पाठ देने की विधि भी बतलाई गई। इस के अतिरिक्त उन्हें पाठान्तर क्रियाओं का अभ्यास भी करवाया गया। 11–12–72 से 23–12–72 तक हरियाणा प्रदेश के पुरुष खण्ड शिक्षा अधिकारियो का प्रथम प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया गया। इस में 32 खण्ड शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। महिला खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिए यह प्रशिक्षण कोर्स 15–1–73 से 25–1–73 तक आयोजित किया गया जिस में 26 महिला खण्ड शिक्षा अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

इन दोनों प्रशिक्षण कोर्सों में खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निरीक्षण कार्य से सम्बन्धित विविध विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया।

निरीक्षण से सम्बन्धित विविध विषयों पर 5-8–72 से 8–8-72 तक एक और संगोष्ठी की गई जिस में जिला शिक्षा अधिकारी और उप जिला शिक्षा अधिकारियों तथा खड शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में निरीक्षणकार्य से सम्बन्ध विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श किया गया।

वर्ष 1972–73 में पाठान्तर क्रियायों सम्बन्धी कई प्रकार के अध्ययन किये गए जैसे मैट्रिक स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा भाषाओं में पाई जाने वाली अशुद्धियों का वर्गीकरण इत्यादि।

प्रकाशन कार्य :—

रिपोर्टाधीन अवधि में कई पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अध्यापकों की सुविधा के लिए अध्यापक सदेशिंकों का निमार्ण भी किया गया है इस के अतिरिक्त

शिक्षा संस्थाओं के लिए कई अन्य लाभदायक रचनाओं का निर्माण हुआ ।

विविध कार्य :—

केवल यही नहीं राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा विद्यार्थियों तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए राज्य स्तर पर कई प्रकार की प्रतियोगिताओं को भी आयोजित किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि में छः विषयों पर माडल प्रश्न-पत्र बनाने के लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सहयोग से कर्मशाला वर्कशाप लगाई गई ।

राज्य विज्ञान संस्थान :—

8.3 राज्य विज्ञान संस्थान वर्ष 1969—70 से स्थापित की गई और इसका मुख्य उद्देश्य अध्यापकों की सेवा अवधि में साईंस में हो रही नवीनतम अविष्कारों से अवगत करवाने के लिए समय-समय पर गोष्ठियां आयोजित करने से है । रिपोर्टाधीन अविधि में इस संस्था द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए ।

एन0 सी0 ई0आर0टी0 की सहायता के साथ एक मास का जीव विज्ञान का समर इन्सच्टीच्यूट गर्मियों की छुट्टीयों में आयोजित किया गया जिसमें 25 अध्यापकों ने भाग लिया ।

जनवरी 1973 मे राज्य स्तर पर एक विज्ञान मेला आयोजित किया गया जिसमें उन स्कूलों ने भाग लिया जो अपने-2 जिलों में प्रथम और द्वितीय आए ।

एन0सी0ई0आर0टी0 की सहायता से भौतिक विज्ञान की मूल्यांकन विचार गोष्ठी का अयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न-भिन्न राज्यों के स्कूलों के 22 अध्यापकों ने भाग लिया ।

यूनिसिफ कार्यक्रम :—

इसके अतिरिक्त यूनिसिफ कार्यक्रम में पायलट स्कूलों को साईंसकिट, पुस्तकें आदि बिना किसी मुल्य के दी जाती हैं। इस वर्ष यह कार्यक्रम 120 प्राथमिक तथा

120 माध्यमिक स्कूलों में चालू किया गया इसके लिये 2,05,800 रुपए की राशि उपलब्ध की गई थी। सम्बन्धित विज्ञान अध्यापकों को विज्ञान सस्था करनाल द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया है ।

प्राथमिक विद्यालयों में बी0 एड0 अध्यापकों की नियुक्ति :--

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मे गुणात्मक सुधार लाने हेतु जे0 बी0 टी0 अध्यापकों के 500 पद बी0 ए0, बी0 एड में परिवर्तित किये गये हैं और इनको प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य अध्यापक के रुप मे नियुक्त किया गया है।

कार्य अनुभव योजना :-

यह योजना बेसिक शिक्षा के उद्देश्यो पर अधारित है। स्कूलों में बच्चों को शुरु से ही कई प्रकार के स्थानीय शिल्पो इत्यादि का अनुभव दिया जाता है । यह स्कीम राज्य मे वर्ष 1969-70 से चल रही है और वर्ष 1973-74 तक 25 उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों 15 मिडल तथा 20 प्राथमिक विद्यालयों मे आरम्भ की गई थी । यह स्कीम इस समय 240 स्कूलो (80 प्राथमिक, 60 मिडल तथा 100 उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो) में चल रही है ।

शाला संगम :-

कुठारी आयोग की सिफारिशो के अनुसार शाला संगम की परियोजना वर्ष 1969-70 से आरम्भ की गई थी । इसके अन्तरगत कुछ एक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयो को उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्द्ध कर दिया जाता है ताकि यह विद्यालय उन उच्च विद्यालयों में स्थित प्रयोगशालाये/पुस्तकालयों तथा अन्य सामग्री इत्यादि का लाभ उठा सके। वर्ष 1972-73 में 12 और उच्च, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों मे शाला संगम स्थापित किए गए हैं। इन विद्यालयों को आठ हज़ार रुपये का प्रति स्कूल की दर से विज्ञान का सामान, फर्नीचर तथा पुस्तकें आदि खरीदने के लिए दिया गया था। इस के अतिरिक्त वर्ष 1969-70 से वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 तक

चल रहे 24 शाला संगम स्कूलों को एक हज़ार रुपये प्रति स्कूल के हिसाब से कान्टनजेन्सिज की राशि अवधि के आधार पर दी गई थी । इस प्रकार इन योजनाओं पर इस वर्ष में कुल 1,20,000/– रुपये खर्च किये गये । जिन विद्यालयों में शाला संगम परियोजना आरम्भ की गई है उन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल केसरी (अम्बाला) ~~-9~~
2. राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल नारनौल, महेन्दगढ ~~-10~~
3. राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल महेन्दगढ़
4. राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बल्वगढ़
5. राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, घरौडा (करनाल)
6. राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, नीलोखेड़ी (करनाल)
7. राजकीय हाई स्कूल मौरखी (गुड़गाव)
8. राजकीय हाई स्कूल मनेसर (गुड़गांव)
9. राजकीय उच्च स्कूल, बरवाला (हिसार)
10. राजकीय उच्च स्कूल, मण्डी डबवाली (हिसार)
11. राजकीय उच्च स्कूल ~~पुनहाना~~ पिनाना (रोहतक) (सहशिक्षा)
12. राजकीय उच्च स्कूल महम (रोहतक)

स्कूलों के लिए भौतिक सुविधाओं तथा अन्य सुधारात्मक कार्य :–

हरियाणा सरकार ने वर्ष 1972–73 में प्रायमिक विद्यालयों में नल–फस्ट

ऐडवोकसिस तथा शौचालय की व्यवस्था करने के लिए 99,750/– रुपये की राशि स्वीकृत की, जिनका जिलावार ब्योरा इस प्रकार है:—

जिले का नाम	फस्ट ऐडबोक्स		शौचालय		नल	
	स्कूलो की संख्या	दर प्रति बोक्स	स्कूलो की संख्या	दर प्रति शौचालय	स्कूलों की सख्या	दर प्रति नल
अम्बाला	27	200/–	11	350/–	13	300/–
करनाल	40	200/–	18	350/–	20	300/–
रोहतक	26	200/–	11	350/–	13	300/–
हिसार	36	200/–	16	350/–	18	300/–
गुड़गाव	43	200/–	18	350/–	21	300/–
जीद	9	200/–	3	350/–	5	300/–
महेन्दगढ़	19	200/–	8	350/–	5	600/–
कुल	200		85		95	

विचाराधीन अवधि मे 1,36,500/– रुपये की राशि 13 शिक्षा संस्थाओं के विशेष मुरम्मत/विस्तार तथा आलट्रेशन हेतु दी गई । इसके अतिरिक्त 1,50,000/– रुपये की राशि 32 पंचायत समितियो को ग्रामीण स्कूलो की मुरम्मत हेतु दी गई इस वर्ष मे राजकीय महाविद्यालय कालका तथा राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नारनौल के भवनो के लिए भूमि अभिग्रहण की गई है ।

पाठशालाओं मे भौतिक सुविधाओं मे सुधार ।

वर्ष 1972–73 में माध्यमिक/उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भौतिक सुविधाओ के सुधार के लिए 5,00,000 रुपये की राशि बांटी गई थी । यह राशि 50.50 के आधार पर मैंचिंग ग्रांट के रुप में दी गई थी । इस राशि का जिलावार ब्योरा इस प्रकार है :–

		माध्यमिक	उच्च/उच्चतर (माध्यमिक)
1.	गुड़गांव	40,00 0/–	35,000/–
2.	अम्बाला	30,000/–	25,000/–
3.	करनाल	60,000/–	25,000/–
4.	हिसार	50,000/–	30,000/–
5.	रोहतक	50,000/–	30,000/–
6.	महेन्द्रगढ	40,000/–	35,000/–
7.	जीन्द	30,000/–	23,000/–
		3,00,000/–	2,03,000/–

इसी भौतक सुविधा सुधार योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक उन्नत साज सजा समान देने तथा भवनों की मुरम्मत और निर्माण कार्यों के लिए पाच लाख रुपये की राशी मैंचिग ग्रान्ट के रुप मे वर्ष 1972–73 में स्वीकृत की गई ।

अध्याय नौवां

विविध

शारीरिक शिक्षा: –

9.1 पूर्ण शिक्षा वही है जिस से बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इस लिए बच्चे के मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास का होना विशेष महत्ता रखता है ।

अब वर्तमान शिक्षा प्रणाली मे शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और खेल कूद क्रियाओं के विकास के लिए राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों मे एक एक पी0 टी0 अध्यापक का पद है । प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक अलग नहीं है क्यों कि प्राथमिक श्रेणियो के सभी अध्यापकों को प्रशिक्षण की अवधि में ही बालकों के शारीरिक विकास के ढग तथा खेल कूद की क्रियाओं के बारे में कुछ ज्ञान दे दिया जाता है ।

इस समय राज्य में निम्नलिखित महाविद्यालयों मे सी0पी0एड0 की कक्षाएं चल रही है उन में 40 छात्रों के युनिट दिए गए हैं :—

(1) छज्जू राम प्रशिक्षण महाविद्यालय, हिसार — 2 युनिट

(2) बी0पी0एस0 महाविद्यालय (प्रशिक्षण), खानपुर कला — 2 युनिट

(3) जनता उच्च तथा बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय, भुटाना — 1 युनिट

अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब अगले वर्ष किसी भी सस्था को इस सी0पी0एड0 की कक्षाओं के आरम्भ करने की अनुमति नही दी जाएगी ।

नैशनल फिटनेस कोर की योजना: —

9 2 प्राथमिक उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों मे नैशनल फिटनैस कोर की योजना के अधीन भी विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है। चालू वर्ष में यह योजना भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को स्वयं सचालन के लिए सौंप दी। यह भी निर्णय लिया कि इन कर्मचारियों की सेवा निवृति तक सारा वेतन आदि और उनकी सेवा निवृति के पश्चात् पैन्शन और ग्रेच्यूटी का वित्तीय भार भारत सरकार ही वहन करेगी अब इनका प्रशासकीय नियन्त्रण राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। इस योजना के अधीन लगभग 367 एन0डी0एस0 अध्यापक हरियाणा राज्य में भिन्न-भिन्न राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

एन0 सी0 सी0. –

9.3 काफी संख्या में उच्च, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों मे एन0सी0सी0 के प्रशिक्षण की भी सुविधा उपलब्ध की गई है। यह योजना वर्ष 1948 में आरम्भ की गई थी और भारत सरकार, रक्षा मन्त्रालय द्वारा बनाए गए नियमानुसार चलाई जा रही है। इसके अधीन सेना की तीनों शाखाओं जैसे मैदानी, समुद्री तथा वायु सेना का प्रशिक्षण दिया जाता है। महाविद्यालयों के छात्रों के लिए सीनियर डिवीजन तथा स्कूलो के छात्रो के लिए जूनियर डिवीजन स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1972-73 में हरियाणा राज्य में सीनियर/जूनियर डिवीजन की बटालियनों को संख्या और उनमें ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित है :—

सीनियर डिवीजन	बटालियन की संख्या	कैडिटों की संख्या
(1) इनफैन्टरी बटालियन लड़को के लिए	16	18,483
(2) इनफैन्टरी बटालियन लड़कियों के लिए	2	1,532
(3) वायु सकैडरन	2	350
(4) जल बटालियन	1	149
कुल :		20,515

जुनियर डिवीजन : –

	बटालियन की सख्या	कैडिटो की सख्या
(1) इनफैन्टरी बटालियन लड़कों के लिए	155	14,006
(2) इनफैन्टरी बटालियन लड़कियों के लिए	12	900
(3) जल विंग	5	367
(4) वायु विंग	14	11,84
कुल :		16,457

ग्रुप हैड क्वार्टर की भी दो बटालियन हैं। वर्ष 1972–73 मे एन0 सी0सी0 स्कीम के चलाने के लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में 34.10 लाख रुपयों की व्यवस्था की। इस आन्दोलन द्वारा युवा विद्यार्थियों में नेतृत्व, अनुशासन और सेवा की भावना को जागृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त युवा लड़के और लड़कियो के चरित्र निर्माण पर भी विशेष बल दिया जाता है।

एन0 एस0 एस0 :—

9.4 महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तित्व और उनकी बुद्धि विकास के लिए भारत सरकार ने एन0एस0एस0 स्कीम लागू की हैं। हरियाणा राज्य ने भी इस स्कीम को हरियाणा में स्थित महाविद्यालयों में छात्रों के लिए वर्ष 1971-72 से लागू करना मान लिया था। भारत सरकार और राज्य सरकार मे इस स्कीम के अन्तर्गत खर्चों की बाट 7 : 5 के अनुपात में है। इस वर्ष इस स्कीम के अन्तर्गत 3890 विद्यार्थियो ने भाग लिया तथा इस पर कुल खर्चा 4.66 लाख रुपए हुआ।

खेल कूद क्रियाए : —

9 5 विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त विद्यालयों मे खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने का पूरा–पूरा अवसर भी प्रदान किया जाता है। दूसरे राज्यो तथा राज्य के भिन्न-2 जिलों के साथ प्रतियोगिताओं में

भाग लेने के लिए लड़के तथा लड़कियों की अलग-अलग खेलों के लिए टीमें तैयार करने के कार्य में खेल विभाग, शिक्षा विभाग को पूरा पूरा–सहयोग देता है । जिला प्रतियोगिताओं में जो टीमें आगे रहती हैं, यह दूसरे जिलों की टीमो से खेलने के लिए भेजी जाती हैं । हरियाणा राज्य भारत खेल फैडरेशन का भी सदस्य है । अन्तर जिला तथा अन्तर्राज्य प्रतियोगिताओं के लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष 12,000 रुपए अनुदान के रूप में देती है । वर्ष 1972 में 25-10-72 से 29-10-72 तक इम्पाल में जो आक्टम मीट हुआ इस में हरियाणा राज्य के स्कूलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया । इसमे हरियाणा की टीमों ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए :—

(1) बास्केट बाल (लड़के)	रजत पदक
(2) कबड्डी (लड़के)	ताम्र पदक

स्कूल फीडिंग कार्यक्रम :—

9.6 इस योजना के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन का लाभ केवल सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के तथा माध्यमिक उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राथमिक विभागों में पढ़ने वाले बालक ही ले रहे हैं । इसके अन्तर्गत बच्चों को सी0एस0एम0 तथा सलाद आईल से बनी वस्तुएं दी जाती हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष में केयर संगठन द्वारा हरियाणा राज्य को 90,94,100 पौंड सी0एस0एन0 तथा 21,01,880 पौंड सलाद आयल दिया गया । जिस का मूल्य लगभग 1,23,13,803 रुपए बनता है । राज्य सरकार द्वारा इस सामग्री को बंदरगाह से स्कूलों तक पहुंचाने तथा अन्य सम्बन्धित खर्चे के लिए 15.50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई । इसके अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन योजना के लिए भारत सरकार द्वारा 73,440 रुपए की व्यवस्था की गई। इस में से 73,100 रुपये विभिन्न खण्डों को दिया गया । यह राशि भी केयर सामग्री के किराए भाड़े पर व्यय की गई । लगभग 3.25 लाख छात्र स्कूल फीडिंग

प्रोग्राम और मध्यान्ह् भोजन का लाभ उठा रहे हैं। यह योजना राज्य कि 83 शिक्षा खण्डों के ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों तथा माध्यमिक हाई/स्कूलों के प्राथमिक विभागों में चालू है।

रैड क्रास निधि :—

9.7 रैड क्रास संस्था को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्राथमिक कक्षाओं मे छात्रो से पांच पैसे तथा मिडल कक्षाओं मे दस पैसे और हाई और हायर सैकेन्डरी कक्षाओं के छात्रो से 15 पैसे प्रति छात्र मासिक चन्दा रैड क्रास निधि के रूप में लिया जाता है। जिस का प्रयोग सस्थाओं की रैड क्रास कमेटियां नियमानुसार इस निधि से व्यय कर सकती हैं। इस राशि का निश्चित भाग जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा एकत्रित कर के राज्य के रैड क्रास कार्यालय को भेजा जाता है। जिला स्तर पर जिला जूनियर रैड क्रास उप समितिया बनी हुई हैं। जिन के अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी होते है। इस निधि मे से जरूरतमंद बच्चों को कितावें, वर्दीया तथा दवाईयां इत्यादि भी दी जी जाती हैं। विद्यालयों में शौचालय और पीने के पानी का प्रवन्ध इत्यादि भी इसी फंड से किया जा सकता है!

संस्कृत भाषा का विकास .—

9.8 संस्कृत भाषा को हरियाणा की भाषा नीति में तृतीय भाषा के रूप में तथा सातवी कक्षा मे पढाने की व्यवस्था है। सस्कृत के विकास के लिए राज्य के 4 राजकीय स्कूलो में सस्कृत के चार अध्यापक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत लगाये हुये हैं। इस के अतिरिक्त सस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण करने का भी पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है।

पुस्तकालयों का विकास :—

9.9 इस समय हरियाणा मे अम्बाला छावनी मे एक राजकीय

पुस्तकालय है । इस के अतिरिक्त सारे राज्य में निम्नलिखित जिला पुस्त-कालय हैं :-

1 पुस्तकालय जीन्द
2 –सम– गुडगाव
3 –सम– रोहतक
4 –सम– नारनौल
5 –सम– हिसार

वर्ष 1972-73 में लगभग 2,20,000 रुपये पुस्तकालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए खर्च किये गये हैं। प्रति वर्ष पुस्तकालय में नवीनतम पुस्तकें क्रय की जा रही हैं जिला पुस्तकालयों को पूर्णतः उपकरण करने के हर सम्भव उपाए किये जा रहे है । अब इन पुस्तकालयों का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा रहे हैं ।

पाठ्य पुस्तकें तथा पाठ्क्रम :—

9.10 वर्ष 1971–72 में पहली से आठवी कक्षाओं तक पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आधुनिक समय की आवश्यकता के अनुसार हरियाणा राज्य के बनने के पश्चात पहली से आठवी कक्षाओ तक पाठ्यक्रम मे कुछ परिवर्तन किया गया है । पाठ्यक्रम मे सुधार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता धर्म निरपेक्षता और मानव मूल्यो को बढावा देने वाले विचारों के साथ-साथ हरियाणा की सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि और इसके स्थानीय इतिहास तथा इसके वीरों और माहापुरुषो के बारे में भी जानकारी दी जाए । जे0बी0टी0 प्रशिक्षण कक्षाओं के पाठ्क्रम में भी यथोचित संशोधन करने के लिए प्रयास शुरु किया गया है ।

भारत स्काउट तथा गाईड्स :—

9 11 भारत स्काऊट तथा गाईड्स राष्ट्र के नव युवको तथा नवयुवतियो मे सेवा तथा रक्षा की भावना को उत्पन्न करने मे बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह

आन्दोलन विद्यार्थियों के चरित्र निमार्ण पर विशेष बल दे रहा है। इस आन्दोलन की एक शाखा हरियाणा राज्य में हरियाणा भारत स्काऊट तथा गाईडस के नाम से स्थापित की गई है। इस सस्था की प्रगति के लिए शिक्षा विभाग प्रति वर्ष 56,000 रूपये अनुदान के रूप में देता है।

रिपोर्टाधीन अवधि में स्काउट तथा गर्ल गाईडस सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार रही है :–

स्काउटस एवं कब	30201
गाईडस एव बुलबुल	10018
स्काऊटस ट्रप	857
कैब पैंक	650
गाईड कम्पनीयां	315
बुलबुल फलोक	91
रोवर क्रयू	8

अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों में शिक्षा के विकास के लिए सुविधाएं:—

9.12 अनुसूचित जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रो को सभी प्रकार की शिक्षा अर्थात शैक्षणिक व्यवसायिक, तकनीकी इत्यादि के लिए सुविधाएं तथा सहायता भी दी जाती है। अनुसूचित जातियो तथा पिछडे वर्ग के लोग भी बिना किसी भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त सस्थाओं मे दाखिला ले सकते हैं। उन्हें राज्य हरिजन (शिक्षा) कल्याण योजना के अधीन निम्नलिखित शिक्षा सुविधाएं दी जाती है :–

(1) पाचवी से लेकर एम०ए० , एम०एस०सी० कक्षाओ तक निशुल्क शिक्षा।

(2) नौंवी कक्षा से छात्र वृतिया स्वीकृति की जाती हैं।

(3) परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति।

अनुसूचित जातियो के लिए मैट्रिक उपरान्त स्तर पर भारत सरकार की योजना के अधीन ट्यूशन फीस परीक्षा शुल्क और अधिक मात्रा की राशि की छात्रवृति इत्यादि दी जाती हैं।

राज्य हरिजन कल्याण योजना के अन्तर्गत स्कूल स्तर पर हरिजन तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रो और कालेज स्तर पर केवल अन्य पिछडे वर्ग के छात्रो को छात्रवृति, निशुल्क तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना में योजना पक्ष (प्लान) पर 17,00,00 रूपये और योजनेतर (नान प्लान) पक्ष पर 14.42 लाख की व्यवस्था की गई थी।

भारत सरकार पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति तथा न्यून आयु वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत हरिजन छात्रों के लिए मैट्रिक उपरान्त स्तर पर छात्रवृत्तियां ट्यूशन फीस तथा अन्य अनिवार्य रूप से ली जाने वाली फीस फंड की राशि दी जाती है। इस के लिए योजनेतर (नान प्लान) पक्ष पर 7,65,000/- रुपये तथा योजना पक्ष पर 14,45,484/- रुपये की व्यवस्था थी।

नौंवी तथा दसवी एंव ग्याहरवीं कक्षा मे पढ़ने वाली हरिजन लड़कियों के लिए प्रति कक्षा छात्रवृत्तियां क्रमश- 20/- रुपये 25/-रुपये तथा 30/- रुपये प्रति मास की दर से उन छात्राओं को योगता के आधार पर दी जाती है जिन्होंने गत वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। इस योजना के अधीन योजना पक्ष पर 45,000 रुपए की व्यवस्था की गई थी।

राज्य सरकार छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 25/- रुपये प्रति मास की दर से अतिरिक्त छात्रवृत्ति देती है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हरियाणा राज्य की सभी हरिजनों छात्रों को भारत की किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी व्यवसायिक इत्यादि सस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाती है।

विमुक्त जाति के बच्चों को स्कूल तथा कालिज स्तर पर छात्रवृत्ति देने के लिए लगभग अलग से एक योजना चल रही है जिस के योजना पक्ष पर 30,000/- रुपये तथा योजनेतर पर 13,300/- रुपये की व्यवस्था थी।

हरियाणा राज्य अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान :—

9.13 इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे अध्यापको और उन के आश्रितों को सहायता देने की व्यवस्था करना है जो विपद्ति मे हों इस प्रतिष्ठान की योजना के अधीन हर वर्ष 5 सितम्बर को अध्यापक दिवस मनाया जाता है और सहायता कार्यक्रम को चलाने के लिए धन एकत्रित किया जाता है। इस एकत्रित किये गये धन में से 80% का उपयोग राज्य के अध्यापको की सहायता के लिए किया जाता है और शेष 20 प्रतिशत धन केन्द्रीय निधि में स्थानांतरित किया जाता है।

विचाराधीन अवधि में 30 अध्यापकों के अश्रितो तथा एक अध्यापक को साल भर के लिए 19,320/- रुपये की सहायता दी गई। इस राशि के अतिरिक्त 4 अध्यापको की लड़कियों की शादी के लिए भी 3,250 रुपये की राशि देनी स्वीकार की गई। दो अध्यापको की विधवाओ को सिलाई मशीनें भी दी जानी है तथा 6 अध्यापकों की विधवायो अथवा उन के बच्चों को जो नौकरी के योग्य है नौकरी दिलाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

इस कोष में से अध्यापकों के बच्चों को मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था भी है। इस के अतिकिक्त तीन छात्रवृत्तिया (मृतक तथा अवकाश प्राप्त) अध्यापकों के बच्चो और 10 छात्रवृत्तियां उन अध्यापको के योग्य बच्चो को स्वीकृत की गई हैं जो अभी सेवा मे हैं।

परिशिष्ठ 1 'क'

31–3–73 को निदेशालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी

क्रम संख्या	पद नाम	अधिकारी का नाम
(1)	निदेशक शिक्षा	श्री जी0वी0 गुप्ता आई0ए0एस0
(2)	–सम–	रिक्त
(3)	संयुक्त निदेशक	श्री वी0एस0 माथुर
(4)	उप निदेशक	श्री जगदीश राज
(5)	–सम–	डा0एस0 एस0 गुप्ता
(6)	–सम–	श्री मती पी0जे0आर0डी0 आहूजा
(7)	प्रशासन अधिकारी	श्री मान सिंह राव
(8)	सहायक निदेशक	श्री के0सी0 पल्टा
(9)	–सम–	श्री जे0पी0 सुन्दरलाल
(10)	–सम–	श्री बी0एन0 दीवान
(11)	–सम–	श्रीमती पुष्पा अबरोल
(12)	–सम–	श्री विजय सिह यादव
(13)	–सम–	श्री बाबू राम गुप्ता
(14)	–सम–	श्री चन्द्रभान
(15)	–सम–	रिक्त
(16)	लेखा अधिकारी	श्री0डी0आर0 तलवाड़
(17)	रजिस्ट्रार शिक्षा विभाग	श्री प्रीतम सिह
(18)	सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा	श्री गुरदियाल सिंह
(19)	बजट अधिकारी	श्री कृष्ण गोपाल

परिशिष्ठ 1 'ख'

31–3–73 को ज़िला स्तर पर तथा उप मण्डल स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का विवरण :—

क्रम	ज़िला	ज़िला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप मण्डल शिक्षा अधिकारी का नाम
(1)	अम्बाला	कुमारी शान्ता राजदान	सर्व श्री प्रेम चन्द महता, सुन्दर श्याम, कुमारी एस0 सिह
(2)	गुड़गांव	श्री इकबाल चन्द वधावन	राम रत्न, लक्ष्मी कान्त टेक चन्द पुरी, आर0आर0 पाल, धर्मवीर कपूर
(3)	करनाल	श्री एम0पी0 जैन	श्रीमती शरणजीत कौर, श्रीमती ज.नकी बाई
(4)	हिसार	श्री एस0डी खुराना	हृदय राम, लाजपत राय पोपली, जे0एन0 कतियाल, एम0एल0 सहगल
(5)	रोहतक	श्री धर्मसिंह ढिल्लों	श्री बी0 एस0 पासी, ओ0पी0 गुप्ता
(6)	जींन्द	श्री आर0एन0 सरीन	जगबीर सिह, जे0पी0 शर्मा
(7)	महेन्द्रगढ़	श्री सोहन लाल	प्रेम प्रकाश, सोहन लाल
(8)	भिवानी	श्री एस0एन0 केसरी	ओ0 पी0 सेठ, ओ0 पी0 दीवान

(9)	सोनीपत	श्री के0एल0 ज़ाकिर	ज्ञान स्वरुप, जे भटेजा
(10)	कुरुक्षेत्र	श्री धर्म देव चौधरी	वी0आर0 गोयल

नोट :—

जिला शिक्षा अधिकारी के पद श्रेणी–1 के 700–1200 के वेतनमान के हैं तथा उप मण्डल शिक्षा अधिकारियों के पद श्रेणी-II के हैं 400/800 या 700/1,100 के वेतनमान के हैं।

सर्वश्री इकबाल चन्द, एस0डी0 खुराना, आर0एन0 सरीन, सोहन लाल, एस0एन0 केसरी तथा धर्मदेव चौधरी श्रेणी–1 के पदों के विरुद्ध 700/1100 या 400–800 के अपने वेतनमान में कार्य कर रहे है।

सर्वश्री प्रेम चन्द महता, लक्ष्मी कान्त गौतम तथा हृदय राम उप मण्डल शिक्षा अधिकारी के पद पर 300–600 रुपये के वेतनमान में कार्य कर रहे हैं।

———

परिशिष्ठ 'ग'

31-3-73 को श्रेणी I तथा श्रेणी II के कुल पद कालिज और स्कूलों के अलग-अलग

क्रम संख्या	पद नाम	वर्ग	कुल संख्या	पुरूष–स्त्रीयां पुरूष–स्त्रीयां	
(1)	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय	1	15	13	2
(2)	प्रोफैसर राजकीय महाविद्यालय	1	34	2	2
(3)	निदेशक राज्य शिक्षा संस्थान गुड़गांव	1	1	1	–
(4)	निदेशक राज्य ~~शिक्षा~~ विज्ञान संस्थान गुड़गाव	1	1	1	–
(5)	निदेशक राजकीय शैक्षणिक एव माध्यमिक संदर्भ केन्द्र-गुड़गांव	1	1	1	–
(6)	जिला शिक्षा अधिकारी	1	10	7	3
(7)	प्राचार्य रा0उ0मा0वि0	11	77	55	22
(8)	प्राचार्य जे0बी0टी0 विद्यालय	11	3	2	1
(9)	वरिशिष्ठ विशेषज्ञ	11	3	1	2
10)	विज्ञान परामर्श	11	1	1	–
11)	मूल्यांकन अधिकारी	11	2	2	–
12)	परामर्शदाता	11	1	1	–
13)	मनोवैज्ञानिक/वरिष्ठ प्राध्यापक	II	198	157	41
14)	उप मण्डल शिक्षा अधिकारी उप जिला शिक्षा अधिकारी	11	37	25	12
15)	तकनीकी प्राध्यापक	11	7	7	–
16)	राज्य पुस्ताकाध्यक्ष	11	1	1	–

2598—D.P.I.—H.G.P, Chd.